घटती घटना

सत्य के साथ...जनहित में बात...

www.ghatatighatana.com अम्बिकापुर,वर्ष 22, अंक - 326- सोमवार 28- सितम्बर 2026,पृष्ठ - 8 मूल्य 2 रूपये RNI Reg.No.- CHHHIN/2004/15050,डाक पंजीयन. क्रं. 13/Surguja DN/ 2026-2028

पीएम मोदी की 'मन की बात' का 138 वां एपिसोड...

आतंकियों को करारा जवाब देंगे,सर्जिकल स्ट्राइक ने दुनिया को भारत की नीति दिखाई : पीएम मोदी

नई दिल्ली,27 सितम्बर 2026। पीएम मोदी ने रविवार को 'मन की बात' के 138वें एपिसोड में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहा है। आतंकवादी अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखेंगे,तो उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा। मोदी ने कहा कि 28-29 सितंबर 2016 को हुई सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल पूरे होने वाले हैं। भारतीय सेना ने एलओसी पार कर पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी।

भारतीय जवानों की इस कार्रवाई को देखकर दुनिया हैरान रह गई थी। प्रधानमंत्री ने बालाकोट एयरस्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में भारत ने बार-बार साफ संदेश दिया है कि आतंकवाद का मजबूत और निर्णायक जवाब दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भगवान गणेश की भक्ति सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। थाईलैंड में गणेश जी की पूजा 'फ्रा फिकानेट' के रूप में की जाती है। उन्होंने बताया कि गणेश से जुड़ी परंपराओं पर शोध करने वाले श्रद्धालुओं के प्रयासों से वहां अष्टविनायक यात्रा भी लोकप्रिय हुई है। मोदी ने असम में पिग्मी हॉग के संरक्षण कार्यक्रम का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि कभी इस छोटे जीव के अस्तित्व पर खतरा था। संरक्षण कार्यक्रम के बाद अब इसकी संख्या 190 से ज्यादा हो गई है। असम के सोनाई रूपाई वन्यजीव अभयारण्य का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि यहां कभी हाथी रहते थे, लेकिन जंगल की जमीन पर इंसानी दखल बढ़ने से वे दूर चले गए थे।

जनगणना को बताया राष्ट्रीय दायित्व

पीएम मोदी ने कहा कि जनगणना हम सबका राष्ट्रीय दायित्व है। उन्होंने लोगों से अपनी और परिवार की जानकारी खुद ऑनलाइन दर्ज करने की अपील की। मोबाइल से यह प्रक्रिया आसानी से पूरी की जा सकती है। मोदी ने बताया कि जनगणना का पहला चरण सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग पूरा हो चुका है। 32 करोड़ से ज्यादा परिवारों का डेटा भी दर्ज किया जा चुका है।

सर्जिकल स्ट्राइक के 10 साल का जिक्र

पीएम मोदी ने 28-29 सितंबर 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उरी में सेना के कैंप पर आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने एलओसी पार कर आतंकी ठिकानों पर कार्रवाई की थी। मोदी ने इसे आतंकवाद के खिलाफ भारत की निर्णायक कार्रवाई और नई नीति का उदाहरण बताया।

नशे के खिलाफ युवाओं की मुहिम

मोदी ने बताया कि देशभर के युवा नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चला रहे हैं।'मेरा भारत' के तहत एंथम, स्लोगन राइटिंग और नुक्कड़ नाटक जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं। युवा सोशल मीडिया के जरिए भी नशा मुक्त रहने का संदेश लोगों तक पहुंचा रहे हैं।

स्वच्छता के महत्व पर जोर

पीएम मोदी ने 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी ने जीवन के कई मंत्र दिए,जिनमें स्वच्छता भी शामिल है। उन्होंने सोशल मीडिया पर स्वच्छता से जुड़े फोटो,वीडियो और रील्स का भी जिक्र किया और कहा कि छोटे-छोटे प्रयासों से पूरा समाज जुड़ रहा है।

रूस का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन

जर्मनी-जापान का विरोध किया,सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर,भारत 8 बार अस्थायी सदस्य रहा

नई दिल्ली,27 सितम्बर 2026। रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि सुरक्षा परिषद में एशिया,अफ्रीका और लैटिन अमेरिका का प्रतिनिधित्व बढ़ना चाहिए। हम ब्राजील और भारत की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन करते हैं। लावरोव ने सुरक्षा परिषद में पश्चिमी देशों की अतिरिक्त सीटों का विरोध किया। उन्होंने खासतौर पर जर्मनी और जापान का नाम लेते हुए उन पर 'सैन्यवाद और बदले की भावना की ओर बढ़ने का आरोप लगाया। लावरोव ने साथ ही कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के दौरान मौजूदा स्थायी सदस्यों के अधिकारों और शक्तियों में कमी नहीं होनी चाहिए।

भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में छठी परमानेंट सीट का सबसे मजबूत दावेदार

दुनिया की 17% आबादी भारत में रहती है। 142 करोड़ जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इतनी बड़ी आबादी का रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। पिछले एक दशक में भारत की औसतन सालाना विकास दर 7% से ज्यादा रही है। यह चीन के बाद किसी भी दूसरे बड़े देश की तुलना में सबसे ज्यादा है। इस आर्थिक ताकत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। भारत परमाणु शक्ति संपन्न है,लेकिन वो इसका दिखावा नहीं करता। अगर भारत को सुरक्षा परिषद में शामिल किया जाता है तो परमाणु निरस्त्रीकरण प्रोग्राम में वह अहम भूमिका निभा सकता है। इंटरनेशनल थिंक टैंक 'अटलांटिक काउंसिल' के सर्वे के मुताबिक यदि अगले एक दशक में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का विस्तार होता है तो उसमें सबसे ज्यादा मौके भारत के लिए होंगे। एक्सपर्ट्स के बीच कराए गए सर्वे के अनुसार, भारत के स्थायी सदस्य बनने की संभावना 26% रहेगी।

भारत की स्थायी सदस्यता की मांग 1990 से जारी

भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग 1990 के दशक से उठती रही है। 2008 से यूएन में सुरक्षा परिषद सुधार पर औपचारिक बातचीत शुरू हुई। 2010 में भारत ने ब्राजील,जर्मनी और जापान के साथ जी4 समूह बनाकर स्थायी सीट की मांग आगे बढ़ाई। 2026 में भी सुधार को लेकर बातचीत जारी है, लेकिन सदस्य देशों के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए ढांचे पर सहमति नहीं बनी है।

पाकिस्तान नहीं सुधरा तो हर कार्रवाई के लिए तैयार,आतंकवाद और बातचीत साथ नहीं चल सकती : राजनाथ

नई दिल्ली,27 सितम्बर 2026। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रविवार को पाकिस्तान को लेकर कहा कि अगर पड़ोसी देश आतंकवाद की अपनी राज्य नीति जारी रखता है,तो भारत आतंकवाद के खिलाफ हर तरह की कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा से किसी भी परिस्थिति में समझौता नहीं करेगा। भारत किसी दूसरे देश की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहता और न ही किसी को धमकी देना चाहता है। ये बातें उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एनडीटीवी डिफेंस समिट 2026 में कहीं। भारत के अभियान और दूसरे देशों के साथ सहयोग हमेशा राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर होंगे। भारत अभियान चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की कीमत पर नहीं। भारत सहयोग चाहता है, लेकिन अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की कीमत पर नहीं। थ्यूसीडाइड्स ट्रैप की अवधारणा बताती है कि जब कोई देश तेजी से उभरता है, तो उसका पहले से शक्तिशाली देशों के साथ टकराव हो सकता है। भारत को इस तरह के द्विआधारी नजरिए में नहीं देखना चाहिए। भारत न तो यथास्थिति बनाए रखने वाली शक्ति है और न ही मौजूदा व्यवस्था को बदलने वाली शक्ति, बल्कि एक सभ्यतागत शक्ति है।

दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने युवक को थप्पड़ मारा

आम आदमी पार्टी बोली...भ्रष्टाचार पर सवाल किया था प्रवेश वर्मा बोले...मेरे परिवार को गाली दी थी...

नई दिल्ली,27 सितम्बर 2026। आम आदमी पार्टी ने रविवार को एक्स पर एक वीडियो शेयर किया,जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा एक लड़के को थप्पड़ मारते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि तिलक नगर में सड़क बनाने में हुए भ्रष्टाचार को लेकर कुछ लोग उनसे सवाल कर रहे थे। इस बीच उन्होंने वहां खड़े एक युवक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद उनके गार्ड और मौजूद साथियों ने युवक को दूर हटाया। पीड़ित युवक का आरोप है कि पुलिस के सामने उसे पीटा गया। जान से मारने की धमकी दी गई। उसने पुलिस को शिकायत दी है। मंत्री को लिखित में माफी मांगनी होगी। भाजपा को भी उन्हें सस्पेंड कर देना चाहिए। विवाद के बाद प्रवेश वर्मा ने वीडियो जारी करके कहा कि जरनैल रात में बनी सड़क सुबह उखाड़ रहे हैं। उन्होंने कमीशन मांगा था,नहीं मिलने पर विवाद खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा- जरनैल के साथियों ने मेरे परिवार को गाली दी,इस हालात में कोई भी आम आदमी जो करता,वही मैंने किया। तिलक नगर की घटना का एक और वीडियो सामने आया है,जिसमें प्रवेश वर्मा और विधायक जनरैल सिंह के बीच बहस होती दिख रही है। जनरैल तारकोल से बनी सड़क के टुकड़े दिखाते हुए प्रवेश से कह रहे हैं...आपने जो सड़क बनाई वो उखाड़ कर दिखा दी। इस पर प्रवेश ने कहा...गलत नहीं बोलना है, आप 15 साल में नहीं बना पाए। जवाब में जनरैल ने कहा... आप बना दो लेकिन ऐसी मत बनाओ जो 15 घंटे न चले।

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को दिखाई हरी झंडी...

एलएनजी से दौड़ी देश की पहली डुअल-फ्यूल ट्रेन,सुविधाओं और सुरक्षा में बड़ा बदलाव

अहमदाबाद,27 सितम्बर 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन से देश की पहली एलएनजी से चलने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उन्होंने साबरमती डिवीजन में भारतीय रेलवे की कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में अमित शाह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि साबरमती डिवीजन में शुरू की गई विभिन्न रेलवे परियोजनाएं पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं को दूर करने, यात्रियों की सुविधा बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में मदद करेंगी। उन्होंने बताया कि रविवार को जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और जिनकी आधारशिला रखी गई, उनमें कुल 1,472 करोड़ रुपये का निवेश शामिल है। अमित शाह ने कहा कि इन परियोजनाओं से इस क्षेत्र के यात्रियों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने रेलवे की ओर से शुरू की जा रही सुविधाओं को यात्री सुविधा, सुरक्षा और पर्यावरण से जुड़ी जरूरतों के लिहाज से महत्वपूर्ण बताया। साबरमती रेलवे स्टेशन और आसपास का रेल ढांचा गुजरात में चल रही बड़ी रेलवे परियोजनाओं का भी हिस्सा है। मुंबई-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के तहत साबरमती को मल्टीमॉडल हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां बुलेट ट्रेन, मेट्रो, बीआरटीएस और रेलवे नेटवर्क को जोड़ा जाना है।

रेलवे की पूरी टीम को दी बधाई...

अमित शाह ने कहा कि दिल्ली से यात्रा करते समय वह कई बार साबरमती रेलवे स्टेशन पर उतर चुके हैं। लंबे समय बाद साबरमती स्टेशन में हुए बदलाव का जिक्र करते हुए उन्होंने रेलवे के अधिकारियों और पूरी टीम को बधाई दी। अमित शाह ने कहा, 'साबरमती रेलवे डिवीजन से लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक पूरी टीम को मेरी हार्दिक बधाई। इतने लंबे समय बाद साबरमती स्टेशन को इस रूप में देखना बेहद खास है। ' उन्होंने कहा कि यात्री सुविधाओं, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ा बदलाव हुआ है। उनके मुताबिक, स्टेशन और रेलवे से जुड़ी सुविधाओं में व्यापक परिवर्तन किया गया है। अमित शाह ने कहा, 'यात्री सुविधा, सुरक्षा और कनेक्टिविटी के मामले में व्यापक बदलाव किया गया है। '

डीजल की खपत में करीब 40% कमी की उम्मीद

रेलवे के मुताबिक, एलएनजी-डीजल दोहरे ईंधन वाली प्रणाली अपनाने से डीजल की खपत में करीब 40 प्रतिशत तक कमी आने की उम्मीद है। इससे ईंधन लागत घटने के साथ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर के उत्सर्जन में भी कमी आएगी। साबरमती इंटीग्रेटेड कोचिंग डिपो की 1,400-1,400 हॉर्सपावर क्षमता वाली दो ड्राइविंग पावर कारों को एलएनजी-डीजल दोहरे ईंधन प्रणाली में बदला गया है। इनका इस्तेमाल आठ कोच वाली ट्रेन के संचालन में किया जाएगा।

उत्तर प्रदेश ने विकास की नई यात्रा तय की : पीयूष गोयल

नोएडा,27 सितम्बर 2026। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को इंडिया एक्सपो मार्ट में आयोजित चौथे इंटरनेशनल ट्रेड शो में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश ने विकास की नई यात्रा तय की है। आज प्रदेश की सकारात्मक सोच, उद्यमियों का आत्मविश्वास और विकास के प्रति प्रतिबद्धता उसकी नई पहचान बन चुके हैं। उत्तर प्रदेश के विकास की गूंज अब देश ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। यूपीआईटीएस के तीसरे दिन आयोजित स्पेशल बिजनेस सेशन लीवरेजिंग इंडियाज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स फॉर ग्लोबल बिजनेस ग्रोथ में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पीयूष गोयल ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर शुरू हुआ यह आयोजन आने वाले वर्षों में और बड़ा तथा प्रभावी होता जाएगा। उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा को पूरी दुनिया एक उदाहरण के रूप में देखेगी। प्रदेश में निर्मित एक्सप्रेसवे, नए एयरपोर्ट, बड़े औद्योगिक पार्क तथा डिफेंस, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे आधुनिक क्षेत्रों में हो रहा।

मोबाइल रिचार्ज पर अब मिलेंगे पूरे 30 दिनों वाले प्लान केवल वॉइस और एसएमएस वाले पैक भी होंगे उपलब्ध

नई दिल्ली,27 सितम्बर 2026। भारत के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद शानदार खबर सामने आई है। अब आपको हर 28 दिन में अपना फोन रिचार्ज कराने की झंझट से मुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार ने 'टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) रेगुलेशन, 2026' लागू कर दिया है। इस नए नियम के तहत टेलीकॉम कंपनियों को अब पूरे 30 दिनों की वैलिडिटी वाले प्लान पेश करने होंगे।

13 की जगह अब होंगे 12 रिचार्ज : राघव चड्ढा ने पोस्ट में बताया कि अब ग्राहकों को एक साल में 13 बार के बजाय सिर्फ 12 बार रिचार्ज कराना होगा। इसके अलावा डेटा की जरूरत नहीं रखने वाले लोगों के लिए वॉइस और एसएमएस वाले प्लान के विकल्प भी उपलब्ध होंगे। गौरतलब है कि 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान्स की वजह से कंपनियां साल में एक महीने का अतिरिक्त पैसा वसूल लेती थीं। 30 दिन के साइकिल से आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला अनावश्यक बोझ काफी हद तक कम हो जाएगा।

सिर्फ कॉलिंग वालों के लिए सस्ते प्लान : नए नियमों को लागू करते हुए सरकार और ट्राई ने कम रिचार्ज कराने वाले उन यूजर्स का भी खास ख्याल रखा है, जिन्हें इंटरनेट से ज्यादा मतलब नहीं होता और वे सिर्फ बेसिक कॉलिंग का इस्तेमाल करते हैं। अब एयरटेल, जियो, वोडाफोन और बीएसएनएल जैसी टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे सस्ते वॉइस और एसएमएस प्लान्स भी उपलब्ध करने होंगे,जिनमें महंगे इंटरनेट डेटा का कोई चार्ज नहीं जुड़ा होगा। इससे उन लोगों को बड़ी राहत मिलेगी जो कम खर्च में मोबाइल सेवाओं का लाभ लेना चाहते हैं।

राघव चड्ढा ने एक्स पर साझा की जानकारी

बीजेपी सांसद राघव चड्ढा ने 'एक्स' पर पोस्ट शेयर करते हुए इस फैसले की जानकारी दी और खुशी जाहिर की। गौरतलब है कि उन्होंने 11 मार्च को संसद में टेलीकॉम कंपनियों के '28 दिन वाले गणित' का मुद्दा जोर-शोर से उठाया था। अपनी पोस्ट में सांसद चड्ढा ने भारत सरकार और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ग्राहकों के सीमित विकल्पों को लेकर लोगों ने अपनी चिंताएं उनके साथ साझा की थीं। अब इन नए नियमों के लागू होने से उपभोक्ताओं को ज्यादा विकल्प और किफायती रिचार्ज प्लान्स मिल सकेंगे।

गुवाहाटी में सीजेपी की बैठक से पहले हंगामा,आशुतोष रांका समेत कई नेता हिरासत में

असम पुलिस पर बैठक रोकने का आरोप,पार्टी ने कहा...शांतिपूर्ण स्वयंसेवक बैठक के लिए जा रहे थे नेता

गुवाहाटी,27 सितम्बर 2026। असम की राजधानी गुवाहाटी में कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की प्रस्तावित क्षेत्रीय स्वयंसेवक बैठक से पहले रविवार को हंगामा हो गया। पार्टी के सह-संयोजक आशुतोष रांका और कई अन्य नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को असम पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने का दावा पार्टी की ओर से किया गया है। कार्रवाई के बाद प्रस्तावित बैठक नहीं हो सकी। इस घटना की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल उपलब्ध जानकारी के आधार पर नहीं हुई है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि आशुतोष रांका और पार्टी की टीम असम में स्वयंसेवकों के साथ एक छोटी बैठक के लिए जा रही थी, तभी पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। दीपके के अनुसार, हिरासत में लिए गए लोगों को किसी अज्ञात स्थान पर ले जाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि कुछ वकील हिरासत स्थल के बाहर मौजूद थे,लेकिन पुलिस ने उन्हें अंदर जाकर नेताओं से मिलने की अनुमति नहीं दी। सीजेपी ने गुवाहाटी में अपनी पहली क्षेत्रीय स्वयंसेवक बैठक आयोजित करने की योजना बनाई थी। आशुतोष रांका एक दिन पहले ही गुवाहाटी पहुंच गए थे। पहले बैठक का आयोजन खड़ग़ा चौधरी रोड स्थित असम श्री परशुराम सेवा सदन में प्रस्तावित था, लेकिन बाद में स्थल बदलकर असम सचिवालय के सामने चौधरी टीला किए जाने की जानकारी दी गई थी। बैठक में करीब 200 से 300 स्वयंसेवकों के शामिल होने की उम्मीद जताई गई थी। सीजेपी के अनुसार,रांका को बैठक में असम के स्थानीय मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से बातचीत करनी थी। पार्टी ने कहा था कि उसके कार्यकर्ता मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से प्रभावित परिवारों से मिलने के साथ-साथ सरकारी स्कूलों की स्थिति का भी जायजा लेंगे।

वांगचुक ने सरकार को 2 अक्टूबर की डेडलाइन दी

कहा...लद्दाख मामले पर जरूरी कदम नहीं उठाए गए,प्रदर्शन करेंगे

नई दिल्ली,27 सितम्बर 2026। लद्दाख को राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग पर सोनम वांगचुक ने 2 अक्टूबर तक की डेडलाइन दी है। उन्होंने को दिल्ली में मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस मामले में बहुत कम प्रगति हुई है। वांगचुक ने यह बात लेह में पिछले साल 24 सितंबर को हुई हिंसा के बाद NSA के तहत हिरासत में लिए जाने के एक साल पूरे होने पर कही। इस हिंसा में पुलिस कार्रवाई के दौरान चार लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर तक सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया तो शांतिपूर्ण प्रदर्शन और आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ेगा। सोनम वांगचुक ने पूछा कि उन लद्दाख हिंसा की जांच के लिए बनाए गए आयोग की रिपोर्ट का क्या हुआ। अधिकारी, उपराज्यपाल और केंद्रीय गृह मंत्री इन कार्रवाइयों के आदेश के बारे में कब जवाब देंगे। वांगचुक ने आरोप लगाया कि स्थानीय लोगों से सलाह लिए बिना नीतिगत फैसले पहले ही किए जा

संपादकीय

चुनाव आयोग के विवाद पर विराम

पिछले दिनों एक दैनिक की इस खबर ने यह जो हंगामा खड़ा कर दिया था कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के कई निर्णयों से दो अन्य चुनाव आयुक्त विवेक जोशी और सुखबीर सिंह संधू ने असहमति जताई थी और दोनों चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव से अपनी शिकायत भी दर्ज कराई थी,उसे चुनाव आयोग की ताजा बैठक ने शांत करने का भी काम किया और उन सवालों के जवाब भी दिए,जो उक्त खबर को लेकर उठे थे और जिनके आधार पर विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ-साथ मोदी सरकार पर निशाना साधने में जुट गया था। चूंकि चुनाव आयोग की बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ दोनों मुख्य चुनाव आयुक्त भी शामिल हुए,इसलिए इन अफवाहों पर विराम भी लगा कि तीनों में अनबन है। इस बैठक के बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति से यह साफ हुआ कि दोनों चुनाव आयुक्तों ने कैबिनेट सचिव को जो चिट्ठी लिखी थी,वह आयोग की किसी नीति से संबंधित नहीं,बल्कि आयोग में डेपुटेशन पर आए एक अधिकारी के कामकाज से संबंधित थी।

प्रेस विज्ञप्ति में यह भी स्पष्ट किया गया कि मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अर्थात एसआईआर को लेकर जो भी फैसले लिए गए,वे आम सहमति से लिए गए। चुनाव आयोग ने यही बात पिछले दिनों भी कही थी। उस पर यकीन न करने का कोई कारण नहीं था,क्योंकि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार फैसले या तो सहमति से लिए जाते हैं या फिर बहुमत से। जहां तक असहमति की बात है तो किसी भी संस्था में विचार-विमर्श के दौरान मतभेद होना स्वाभाविक हैं। इन मतभेदों को तूल देने का कोई औचित्य नहीं बनता था,लेकिन ऐसा ही किया गया। चुनाव आयोग की ताजा प्रेस विज्ञप्ति यह भी बता रही है कि दोनों चुनाव आयुक्तों की ओर से कथित तौर पर फार्म-6 में बदलाव को लेकर आपत्ति जताने की बात सही नहीं थी। इसका आधार इसलिए भी नहीं बनता था, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान हुए एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फार्म-6 में जो अतिरिक्त घोषणापत्र जोड़ा गया, वह वैध है। आखिर जिस बदलाव को सुप्रीम कोर्ट ने वैध और आवश्यक माना,उसे लेकर कोई चुनाव आयुक्त आपत्ति कैसे जता सकता था?

चुनाव आयोग का एक प्रमुख काम देश के हर योग्य मतदाता को वोट देने के लिए अधिकृत करना और अयोग्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाना भी है। इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता कि मौजूदा मतदाता सूचियों में अनेक ऐसे नाम हैं,जो या तो कहीं स्थानांतरित हो चुके हैं या फिर जिनका निधन हो चुका है। इसी तरह तमाम नामों का दोहराव भी है। मतदाता सूचियों में अनेक नाम घुसपैठियों के भी हैं। यह एक तथ्य है कि पिछले दशकों में देश में बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है और घुसपैठियों ने छल-छद्म से आधार एवं अन्य दस्तावेजों के अलावा मतदाता पहचान पत्र भी हासिल कर लिए हैं। देश के सीमांत राज्यों में ऐसा अधिक हुआ है और इसका कारण यह है कि इन राज्यों के राजनीतिक दलों ने घुसपैठियों को मतदाता बनाने का काम जानबूझकर किया है,ताकि चुनावी लाभ हासिल किया जा सके।

मोदी सरकार सत्ता में आने के बाद से लगातार यह स्पष्ट करती रही है कि वह घुसपैठियों को बाहर निकालेगी। यह तभी संभव है, जब उनकी पहचान होगी। यह ठीक है कि चुनाव आयोग का काम ऐसे लोगों की पहचान करना नहीं है और न ही सरकार ने चुनाव आयोग को यह कहा है कि वह इनकी पहचान करे,लेकिन यह देखना तो उसका दायित्व है ही कि मतदाता सूची में शामिल नाम भारतीय नागरिकों के हों। यदि यह सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग लोगों से आवश्यक दस्तावेज दिखाने को कहता है और इस क्रम में उन्हें नोटिस भेजता है तो इसे गलत नहीं कहा जा सकता। चुनाव आयोग को यह देखना ही चाहिए कि कोई भी ऐसा नागरिक मतदाता न बनने पाए,जो भारत का नागरिक न हो। इसके लिए चुनाव आयोग को फार्म-6 के जरिये लोगों से आवश्यक जानकारी मांगनी होगी और उनके दस्तावेजों का परीक्षण भी करना होगा, क्योंकि अनेक लोगों ने फर्जी पहचान पत्र हासिल कर रखे हैं या उन्हें गलत तरीके से बनवा लिया है।

एसआईआर की प्रक्रिया बिहार विधानसभा चुनाव से शुरू हुई थी। इसके बाद चुनाव वाले राज्यों बंगाल, केरल, तमिलनाडु में भी हुई। केरल और तमिलनाडु में इसे लेकर कोई विवाद सामने नहीं आया। यह भी उल्लेखनीय है कि इन दोनों राज्यों में क्रमशः कांग्रेस और टीवीके ने जीत हासिल की। इन राज्यों के बाद कुछ अन्य राज्यों में भी एसआईआर की प्रक्रिया हुई। शेष राज्यों में वह जारी है। एसआईआर को लेकर विवाद का कारण यह है कि पिछले लगभग दो दशकों से यह प्रक्रिया संपन्न ही नहीं की गई। इसे समय-समय पर किया जाना इसलिए आवश्यक है, क्योंकि इससे ही मतदाता सूचियां शुद्ध हो सकती हैं।

यह अच्छा हुआ कि तीनों चुनाव आयुक्तों ने बैठक करके एसआईआर को लेकर उठे सवालों का भी जवाब दिया और यह भी स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया को लेकर जो समस्याएं आ रही हैं, उनका समाधान इस तरह किया जाएगा, जिससे लोगों को कम से कम परेशानी हो। अब यदि इसके बाद भी विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोले रखता है और वह उनके खिलाफ सड़कों पर उतरकर धरना-प्रदर्शन करता है तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर वाले राज्यों में लाखों मतदाताओं के नाम अनुचित तरीके से काटे गए, तो सवाल यह है कि ये लोग अपना विरोध जताने सड़क पर क्यों नहीं आते? प्रश्न यह भी है कि विपक्ष ऐसे लोगों को सामने क्यों नहीं लाता?

यह संभव है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अभी भी खटखटाया जाए। एक याचिका तो दाखिल भी हो चुकी है। आगे जो भी हो, इसकी अनदेखी न की जाए कि इसके पहले चुनाव आयोग की ओर से कराए जा रहे एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जो भी दलीलें दी गईं, वे सब खारिज कर दी गईं। सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार स्पष्ट किया है कि एसआईआर कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है। इसके बाद भी विपक्षी दल मोदी सरकार को कठघरे में खड़ा करने के लिए चुनाव आयोग पर निशाना साधते रहते हैं।

जीवित पितरों का अपमान,मरने पर पिंडदान,क्या अनुचित प्रथा नहीं ?

आत्माराम यादव
नर्मदापुरम,मध्यप्रदेश

जब दुनिया में माता पिता जीवित होते है तब उनकी संताने उन्हें खून के आंसू रुलाती हुई रोज अपमान कर मानसिक,शारीरिक और आर्थिक यंत्रणायें देने में अग्रणी होती है किन्तु उनकी जैसे ही इन माता पिताओं का स्वर्गवास हो जाए तो पितृ-पक्ष में उनकी अंतरात्मा जाग उठती है और वे पितरों के नाम पर श्राद्ध और पिंडदान करने के सारे आडम्बर कर अपने को योग्य संतान साबित करने सनातन धर्म की आड़ ले लेता है, यह प्रथा क्या उचित है या अनुचित यह यक्ष प्रश्न मेरे मन मस्तिष्क में हिलौरे मारने लगा जब एक बुजुर्ग पिता के तीन संताने होने के बाद कोई भी पुत्र सक्षम होते हुए अपनी पत्नियों का गुलाम होने से अपने बूढ़े पिता के मदद के लिए आगे नहीं आये और जैसे ही उन्होंने उनकी मृत्यु की खबर सुनी दुनिया के सामना दिखावा करने के लिए फूलों के हिडोले में अर्थी सजाकर बैंडवाजे के साथ अंतिम क्रिया में सारे आडम्बर को विधि विधान से पूरा करते दिखे मानो उनकी इस अंतिम विदाई पर उनके पिता की जीवात्मा प्रसन्न मुद्रा में चंद्रलोक की तरफ बढ़ गई है और संतानों के अंतिम क्रियाक्रम के बाद के सारे दिखावी उपद्रव की बदौलत उनके पिता पितृलोक पहुचं गए है।

जिस पिता ने पूरी उम्र खून पसीना बहाकर एक एक पैसा जोड़कर अपने तीनों बेटों-बहुओं के लिए एक विशालकाय 7 कमरों और एक हाल अपने मंझले पुत्र के साथ गुजारते हुए छोटे पुत्र की धूमधाम से पडौस में शादी की, कितु बहु के आते ही षड्यंत्र के तहत बहु के कहने पर छोटे पुत्र ने दो बार आत्महत्या का नाटक कर मंझले बेटा बहु और उसके तीन बच्चों के घर निकाला करवा कर पुरे मकान पर कब्ज़ा कर पिता की पेंशन भी हथिया ली,चूँकि छोटा बेटा वकील की प्रेक्टिस न कर अपने पिता के सपनों को पूरा नहीं कर सका और उसकी डिग्री कोर्ट में प्रेक्टिस करने की बजाय किराने की दुकान खोलकर होशिहारी दिखाने में सफल रहा और उसकी लालची पत्नी ने एक कमरा बनाकर घर के बाहर माता पिता को कर उन्हें तकलीफ देना शुरू किया और समय पर उन्हें दवाओं से वंचित रखने के बाद जब कभी एक दो दिन के लिए बाहर जाते घर में ताला लगाकर माता पिता को भूखा छोड़ जाते । पिता के मरने के बाद दोनों बेटों ने अपनी माँ को पराया कर मंझले बेटे के भरोसे छोड़ दिया। बेईमानी में छोटा बेटा अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार भी नहीं दे सका,अब उसकी गरदन हमेशा उसके बेटों के हाथों में है किन्तु दुनिया के सामने वह अपनी अकड को तो गब्बर शेर की तरह बनाये हुए है परन्तु घर पर पत्नी के सामने भीगी बिल्ली ही रहा है। बड़े बेटे में संस्कार है, परन्तु पत्नी के सामने उनके संस्कार भी हाथी के दांत देखने के और खाने के और साबित होते है। पत्नी ने सारे जीवन अपने मायके से सम्बन्ध रखा और अपने ससुराल पक्ष से दुश्मनी रखी,इसी कारण इस बुजुर्ग पिता के पास दस पंद्रह साल तक न तो बेटे ने पुत्र धर्म निभाया और न ही बहु ने अपने ससुर की सेवा ही की। बड़े बेटे ने देखते देखते शहर में एक विशाल भवन खड़ा कर लिए लेकिन भूमि पूजन से मकान के उद्घाटन में अपने माता पिता को अपने घर एक बार भी लेकर नही गए जिससे पिता मकान की ख़ुशी और बेटे की उपेक्षा से दुखी रहे। तीनों बेटों को एकत्र कर पिता ने मझले को 22 साल बाद घर बुलाकर मकान बनाकर रहने को राजी किया किन्तु पिता के सामने तय शर्तों को भूलकर बेटों ने पिता के आत्मा को सुख पहुचाने की बजाय दुःख ही दिया है। बड़ा बेटा नियम से श्राद्ध कर्म में लग गया ताकि उनके मृतक पिता की आत्मा जहा जिस लोक में हो उनके श्राद्ध कर्म के पुण्यों की शक्ति से वे प्रसन्न हो सके।

प्रकाशक: दैनिक घटती-घटना

जब से इन्सान इस धरती पार आया है तब से पीढ़ीदर पीढ़ी उसकी पहचान उसके जन्मदाता माता और पिता से हुई है और जिस समाज,कुल,गौत्र में उसका जन्म होता है उससे जन्म संस्कार से ही उसपर माता पिता का ऋण चढ़ जाता है। इन्सान की अनगिनत पीढ़ियों जीवन के संस्कार, मूल्य, परंपराएं के साथ देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से ऋणी रही है । पितृ ऋण से मुक्ति के प्रयास का अवसर पिता की मृत्यु के उपरांत आने वाले पितृ पक्ष में श्राद्ध से संभव है। आजकल के बेटे श्राद्ध का अर्थ केवल विधि-विधान श्राद्ध या पिंडदान भा करना ही मानते है जबकि श्राद्ध से पितरों को याद करना,उनकी सद् इच्छाओं को आगे बढ़ाना,उनके अच्छे अधूरे कार्यों को पूरा करना,परिवार को जोड़कर रखना और संस्कारों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाना,घर परिवार में बिखराव मिटाकर उन्हें जोड़े रखना भी श्राद्ध है।

हम तो यही कहेंगे कि जो व्यक्ति अपने जीवित पिता-माता आदि की सेवा नहीं करते,उलटा उनको दुःख पहुँचाते हैं, या उनका अपमान करते हैं,बाद में उनका पिंडदान और श्राद्ध करना तर्पण करना-जल,तिल और कुश से पितरों को अर्घ्य अर्पित करना कोरा ढोंग है और उसका कोई परिणाम नहीं;क्योंकि अगर हमारे श्राद्ध का फल पितरों तक सूक्ष्म रूप से पहुँचता भी है,तो वह तभी संभव है,जब हम सच्ची भावना और एकाग्र चित्त से उस कार्य को करें। पर जो लोग जन्म भर अपने पिता-माता को हर तरह से कष्ट पहुँचाते रहे,उनको भला-बुरा कहते रहे, वे फिर किस प्रकार श्रद्धा और हार्दिक भावना से श्राद्ध आदि कर्म कर सकते हैं ? मेरे ही नहीं अपितु आप सभी के समक्ष आपके घर पड़ोस-परिवार में एक नही लाखों उदाहरण मिल जायेंगे जहा जिन्दा रहते जिन माता पिताओं के बच्चों ने भोजन दवा आदि सेवाओं से वंचित रखा वे अब दुनिया के सामने अपने धर्म कर्मा का झंडा ऊँचा करने के लिए पिंडदान और श्राद्ध में लग गया है। जगह जगह हर शहर हर गाँव में श्राद्ध में पितरों के नाम पर धुंधकारी जैसे बेटे भी ब्राह्मण-भोजन करा रहे है और उन्हें विश्वास है की इसके पुण्य-फल से उनके पितरों का भोजन मिलेगा और वे संतुष्ट हो सकेंगे। धर्म-शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो मनुष्य श्राद्ध करता है,वह पितरों के आशीर्वाद से आयु,पुत्र,यश,बल,वैभव, सुख और धन-धान्य को प्राप्त होता है, किन्तु धर्मसूत्र कपूतों के विषय में क्या कहता है जिनके दुष्कर्मों के कारण माता पिता त्रासदीपूर्ण मौत को गले लगते है। धर्म-प्राण हिंदू कहलाने वाले ये सारे सपूत-कपूत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष भर प्रतिदिन नियमपूर्वक स्नान करके गंगा, यमुना,कृष्णा,काबेरी,गोदावरी,नर्मदा आदि पवित्र नदियों में पितरों का तर्पण कर रहे हैं। जो दिन उनके पिता की मृत्यु का होता है, उस दिन ये अपने घर परिवार,कुटुंब और नाते रिश्तेदारों को भोजन कराते है वही अपनी शक्ति के अनुसार दान करके ब्राह्मण-भोजन कराने में जुटे हैं।

बाबजूद इस प्रकार के बेटे और संताने भी है जो माता पिता की परम भक्त होती है और उनकी सेवा में किसी प्रकार की कमी नही रखकर उनका जीवन अंतिम सांसों तक स्वर्गिक बनाये रखते है वे ही पुरे मनोयोग से श्राद्ध-कर्म पिंडदान में लगे है और अपने तन-बदन की सुधि भूल जाते थे। उन्हें बाल बनवाने, तेल लगाने, पान खाने आदि का भी अवकाश न मिलता है। उसी बात के चिह्न स्वरूप आज भी अनेक हिंदू, चाहे वे श्राद्ध करने वाले न भी हों,इन कार्यों से पृथक रहना धर्मानुकूल मानते हैं। वैसे जिन लोगों के पिता स्वर्गवासी हो गये हैं, वे अमावस्या तक और जिनकी माता स्वर्गवासी हो गई हैं,वे मातृ-नवमी तक न तो बाल बनवाते हैं और न तेल लगाते हैं। पितरों का पिंडदान करने का सबसे बड़ा स्थान गया माना जाता है और जनता में ऐसी मान्यता है कि गया में पितरों को पिंडदान कर देने पर फिर प्रति वर्ष पिंड देने की आवश्यकता नहीं रहती।

यह भी कहते हैं कि महाराज रामचंद्रजी ने गया आकर फल्गु नदी के किनारे अपने मृत पिता महाराज दशरथ का पिंडदान किया था। वे संताने जो अपने जीवित माता-पिता की सेवा करना ही अपना परम धर्म नहीं मानते थे,वरन उनके मरने पर भी उनका सेवा-सत्कार करना अपना पवित्र कर्तव्य समझते थे और इसके लिए 15 दिन का समय अलग कर दिया था। यह प्रथा कितनी पुरानी है इसका प्रमाण हिंदुस्तान के मुगल सम्राट शाहजहाँ के इस कथन से मिलता है जब उसे उसके लड़के औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर रखा था, एक पत्र में औरंगजेब को लिखा था कि - तुम से तो हिंदू लोग ही बहुत अच्छे हैं,जो मरने के बाद भी अपने पिता को जल और भोजन देते हैं। तू तो अपने जीवित पिता की भी दाना-पानी के बिना तरसा रहा है। पितृ पक्ष का महत्व इस बात में नहीं है कि हम श्राद्ध कर्म को कितनी धूम-धाम से मनाते हैं और कितने अधिक ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं,वरन् उसका वास्तविक महत्व यह है कि हम अपने माता पिता,पितामह आदि गुरुजनों की जीवित अवस्था में ही कितनी सेवा-सुश्रुषा,आज्ञा पालन करते हैं। चाहे अन्य लोग हमारी बात को ठीक न समझें,पर जीवित पितरों के अपमान और मृत पितरों को श्राद्ध और पिंडदान की इस दिखावटी प्रथा का समाज में विरोध होना चाहिए और जो व्यक्ति अपने आसपास इस प्रकार के प्रकरण देखकर उनके श्राद्ध और पिंडदान के भोज में शामिल होता है उसे इस प्रकार के बेटों के द्वारा दिए जाने वाले भोज दान आदि का बहिष्कार कर मृतक के प्रति सम्मान बनाये रखना चाहिये।

खो गया वो सुकून...कभी 'सुकून की छांव' था हमारा अंबिकापुर

आज अपनों के ही आशियाने में दहशत का साया

लूटपाट और आपराधिक घटनाओं से सहमा सरगुजा का दिल हर पल सताता है बच्चों और जान-माल का खतरा,बाहरी लोगों को पनाह देने वाले शहर के मूल निवासी ही आज बेगाने और असुरक्षित। सरगुजा संभाग का मुख्यालय और कभी प्रदेश के सबसे शांत शहरों में शुमार अंबिकापुर आज एक बेहद संवेदनशील और डरावने दौर से गुजर रहा है। यह वह शहर है,जिसकी आबोहवा में कभी ऐसा अपनापन और सुरक्षा थी कि बाहरी जिलों और राज्यों से लोग यहाँ सिर्फ इसलिए आकर बस जाते थे क्योंकि उन्हें यहाँ परम सुकून और शांति मिलती थी। लेकिन आज स्थितियां इस कदर बदल चुकी हैं कि यहाँ के मूल निवासी,स्थानीय नागरिक और व्यापारी हर पल एक अनजाने खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं।

पिछले कुछ समय से शहर के भीतर दिनदहाड़े लूटपाट,चोरी,हत्या बलात्कार,झपटमारी और असामाजिक तत्वों के बढ़ते हौसलों ने कानून-व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। स्थिति यह हो गई है कि अब लोग अपने ही घरों की चौखट के भीतर खुद को महफूज नहीं पा रहे हैं। माताओं का थमता दिल पिताओं की बढ़ी चिंता अंबिकापुर का यह बदला हुआ हिंसक चेहरा सबसे ज्यादा आम परिवारों को जख्म दे रहा है। आज शहर की कोई भी मां अपने बच्चों को स्कूल, कॉलेज या ट्यूशन भेजने के बाद तब तक चैन की सांस नहीं ले पाती,जब तक कि बच्चा सुरक्षित घर लौट न आए। हर वक्त बच्चों की जान का खतरा और अनहोनी की आशंका माता-पिता के दिलों को झकझोरती रहती है। जो बुजुर्ग कभी बेफिक्र होकर शाम की सैर पर निकलते थे, आज वे ढलते सूरज के साथ ही खुद को घरों में कैद करने पर मजबूर हैं।

*.यादों का अंबिकापुर बनाम आज की खौफनाक हकीकत (अतीत का सुकून)आज का अंबिकापुर (वर्तमान की दहशत)सुरक्षा एवं माहौल शहर पूरी तरह से शांत और सुरक्षित था। लोग आधी रात को भी सड़कों पर निडर होकर घूम सकते थे।हर सड़क, हर गली में भय और असुरक्षा का माहौल है। दिन के उजाले में भी वारदातें हो रही हैं।

*अपराध का ग्राफ लूटपाट और हिंसक वारदातें न के बराबर थीं। आपसी भाईचारा और सौहार्द शहर की पहचान थी। लूटपाट,कट्टा दिखाना,और चोरी आम हो चुकी है। अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो चुका है।

*.बाहरी लोगों का आकर्षण बाहरी लोग यहाँ सुकून और सुरक्षित भविष्य की तलाश में जमीन खरीदकर बसते थे। बढ़ती अव्यवस्था और असुरक्षित माहौल के कारण अब लोग यहाँ आने और रहने से कतराने लगे हैं।

*.नौनिहालों की सुरक्षाबच्चे गलियों और पार्कों में बेफिक्र खेलते थे। माता-पिता को कोई डर नहीं सताता था।हर क्षण जान-माल और बच्चों की सुरक्षा का खतरा बना रहता है। हर घर में चिंता की लकीरें हैं।

क्या प्रशासन लौटा पाएगा हमारा पुराना अंबिकापुर

यह सिर्फ अपराध के आंकड़ों का बढ़ना नहीं है, बल्कि एक हंसते-खेलते शहर की आत्मा का मरना है। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वह अंबिकापुर कहाँ खो गया, जहाँ कभी रातें भी महफूज हुआ करती थीं? स्थानीय प्रबुद्ध नागरिकों और समाजसेवियों का कहना है कि यदि पुलिस प्रशासन ने तुरंत सख्त गश्त असामाजिक तत्वों पर नकेल और कानून व्यवस्था को मजबूत नहीं किया तो यह शहर पूरी तरह अराजकता की भेंट चढ़ जाएगा।आज पूरा अंबिकापुर एक सुर में प्रशासन से गुहार लगा रहा है हमें आधुनिकता की चकाचौंध से ज्यादा हमारे बच्चों के लिए सुरक्षित सड़कें और हमारा खोया हुआ सुकून वापस चाहिए।÷

अविनाश कुमार ठाकुर
नेहरू वार्ड,अम्बिकापुर

खेतों के नीचे सूखता भारत

भूजल संकट: भारतीय कृषि के सामने गंभीर चुनौती

डॉ. प्रियंका सौरभ,हिसार,हरियाणा

भारत की कृषि उपलब्धियों की चमक के पीछे एक गंभीर सच्चाई छिपी है–भूजल का तेज़ी से ह्रास। देश की सिंचाई का 78 प्रतिशत से अधिक हिस्सा भूजल पर निर्भर है और कृषि क्षेत्र भूजल निकासी का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा अपने पास समेटे हुए है। पंजाब,हरियाणा और राजस्थान जैसे कृषि प्रधान राज्यों में भूजल निकासी वार्षिक रीचार्ज से कहीं अधिक हो गई है;पंजाब में तो यह दर 152 प्रतिशत तक पहुँच गई है। यह स्थिति न केवल दीर्घकालिक कृषि स्थिरता को खतरे में डाल रही है, बल्कि ग्रामीण असमानता,ऊर्जा की बढ़ती मांग और पारिस्थितिकी तंत्र के क्षरण जैसे गंभीर परिणाम भी पैदा कर रही है।

इस संकट की जड़ें संरचनात्मक नीतियों और प्रोत्साहनों में निहित हैं। हरित क्रांति के बाद से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और सरकारी खरीद की गारंटी ने किसानों को गेहूं-धान की एकाधिकार खेती की ओर धकेला, खासकर पंजाब और हरियाणा में। धान जैसी जल-गहन फसलें,जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल भी नहीं हैं, बड़े पैमाने पर उगाई जाने लगीं क्योंकि बाज़ार और नीतियां इन्हें पुरस्कृत करती रहीं। इसके साथ ही कृषि के लिए मुफ्त या भारी सब्सिडी वाली बिजली ने पंपिंग लागत को नगण्य बना दिया, जिससे किसानों के लिए अतिरिक्त भूजल निकालने की सीमांत लागत शून्य हो गई और अंधाधुंध निकासी को प्रोत्साहन मिला। ट्यूबवेल और निजी बोरवेल का तेज़ विस्तार, कमज़ोर विनियमन और सामुदायिक स्तर पर प्रबंधन की कमी ने इस स्थिति को और बिगाड़ दिया।

सिंचाई पद्धतियां भी समस्या को बढ़ावा देती हैं। परंपरागत बाढ़ सिंचाई आज भी व्यापक है, जिसमें पानी की बर्बादी अधिक और दक्षता कम होती है। माइक्रो-इरिगेशन (ड्रिप और स्प्रिंकलर) को बढ़ावा देने वाली योजनाएं मौजूद हैं,पर छोटे किसानों के लिए उच्च प्रारंभिक लागत और रखरखाव की चिंताएं अपनाने की दर को सीमित करती हैं। जलवायु परिवर्तन की अनिश्चितता और मानसून की अनियमितता ने किसानों को भूजल पर और अधिक निर्भर बना दिया है। इस संकट के परिणाम खेतों से कहीं अधिक व्यापक हैं। गिरते जल स्तर के कारण किसानों को गहरे बोरवेल लगाने और अधिक शक्तिशाली पंप स्थापित करने पड़ते हैं,जिससे सिंचाई की लागत बढ़ती है और छोटे व सीमांत किसान असमानुपातिक रूप से प्रभावित होते हैं। गहरे स्तर से पानी निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिससे जल-ऊर्जा संबंध और तंग होता है। पारिस्थितिक दृष्टि से अति-निकासी भूमि के धंसने, तटीय क्षेत्रों में लवणीयता के प्रवेश और जल गुणवत्ता के दीर्घकालिक क्षरण का जोखिम पैदा करती है।सामाजिक स्तर पर जल की कमी कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के बीच तथा साझा नदी बेसिन वाले राज्यों के बीच संघर्ष को बढ़ावा देती है।आर्थिक रूप से सिंचाई की बढ़ती लागत खेत की लाभप्रदता को कम करती है। इस चुनौती का समाधान केवल तकनीकी सुधारों से नहीं,बल्कि प्रोत्साहनों, संस्थानों और प्रथाओं को पारिस्थितिकीय सीमाओं के अनुरूप पुनर्संरेखित करने से ही संभव है। सबसे पहले,फसल विविधीकरण को नारे से रणनीति में बदलना होगा। पंजाब और हरियाणा में धान की खेती उसी तरह नहीं चल सकती जैसे बंगाल या असम में;मक्का,दलहन,तिलहन और बागवानी जैसी कम जल-गहन फसलों को समान बाज़ार गारंटी,प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे और मूल्य समर्थन के साथ बढ़ावा देना होगा। बिना आर्थिक व्यवहार्यता के विविधीकरण केवल कागज़ पर ही रहेगा। दूसरा,सिंचाई दक्षता का तेज़ी से विस्तार आवश्यक है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के पर ड्रॉप मोर क्रॉप घटक ने छोटे किसानों के लिए 55 प्रतिशत तक सब्सिडी के साथ ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों को बढ़ावा दिया है,पर कवरेज अभी भी सीमित है। माइक्रो-इरिगेशन का विस्तार, धान में डायरेक्ट सीडेड राइस और ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग जैसी जल-बचत प्रथाओं को अपनाना, और लेजर लैंड लेवलिंग में निवेश खेत के स्तर पर पानी के उपयोग को 30-50 प्रतिशत तक कम कर सकता है। तीसरा, भूजल शासन को मज़बूत करना होगा। पंचायतों और वॉटर-यूज़र एसोसिएशन के माध्यम से सामुदायिक प्रबंधन,भागीदारीपूर्ण एक्विफर मैपिंग और स्थानीय जल बजटिंग के साथ,निकासी पर जवाबदेही सुनिश्चित की जा सकती है। अति-शोषित ब्लॉकों में नए बोरवेल के लिए अनुमति और बिजली कनेक्शन को सतत निकासी मानदंडों से जोड़ना जैसे विनियामक उपाय स्वैच्छिक प्रयासों के पूरक होने चाहिए। चौथा, सब्सिडी सुधार अपरिहार्य है। फ्लैट-रेट या मुफ्त बिजली से मीटर वाले वॉल्यूमेट्रिक मूल्य निर्धारण की ओर बढ़ना,साथ ही छोटे किसानों की सुरक्षा के लिए लक्षित प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण,बर्बादी को रोकते हुए न्यायसंगत हो सकता है। कृषि सहायता योजनाओं में जल-उपयोग मानदंड शामिल करने चाहिए ताकि जल-कुशल फसलों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने वाले किसानों को पुरस्कृत किया जा सके। अंत में,रीचार्ज और संयुक्त उपयोग का विस्तार आवश्यक है। वर्षा जल संचयन,चेक डैम, रीचार्ज शाफ्ट और वाटरशेड प्रबंधन प्राकृतिक पुनर्भरण को बढ़ा सकते हैं,जबकि नहर कमांड क्षेत्रों का विकास और सतह व भूजल के संयुक्त उपयोग को बढ़ावा देना एक्विफर पर अत्यधिक निर्भरता को कम कर सकता है।

भारत एक चौराहे पर खड़ा है : या तो वह अल्पकालिक उपज के लिए भूजल का दोहन जारी रखे, या कृषि को पारिस्थितिकीय वास्तविकता के अनुरूप ढाले। वर्तमान रास्ता ग्रामीण संकट को गहराएगा,असमानता बढ़ाएगा और खाद्य सुरक्षा को कमज़ोर करेगा।

सूचना

समाचार पत्र में छपे समाचार एवं लेखों पर सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। हमारा ध्येय तथ्यों के आधार पर सटिक खबरें प्रकाशित करना है न कि किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना। सभी विवादों का निपटारा अम्बिकापुर न्यायालय के अधीन होगा।

सम्पादक

भगत सिंह : शहादत की मिट्टी से महकता रहेगा वतन

युवा चेतना के अमर प्रेरणापुंज भगत सिंह

योगेश कुमार गोयल
नजफगढ़,नई दिल्ली

भारत को ब्रिटिश शासन की बेड़ियों से मुक्त कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में अनेक क्रांतिकारियों ने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। भारत के ऐसे ही सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक हैं शहीद-ए-आजम भगत सिंह,जो केवल 23 वर्ष की अल्पायु में ही भारत को आजाद कराने के लिए हंसते-हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए थे। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ऐसे महान क्रांतिकारी थे,जिन्होंने अपने अदम्य साहस और विचारधारा से देश की आजादी के आंदोलन को नई दिशा दी। उन्होंने न केवल अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया बल्कि लोगों में स्वतंत्रता और समानता का संदेश भी फैलाया। बहुत कम उम्र में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भगत सिंह युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गए। उनके बलिदान और साहस ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। उन्होंने एक ओर जहां अपनी देशभक्ति से विदेशी हुकूमत को घुटनों पर लाने का काम किया, वहीं दूसरी ओर अपने क्रांतिकारी विचारों से स्वतंत्रता संघर्ष में अलग-अलग बंटे भारत को एक करने का महत्वपूर्ण कार्य भी किया। उनके प्रेरणादायी विचारों से पूरे भारत में स्वाधीनता की लहर और तेज हो गई थी। 28 सितंबर को शहीद भगत सिंह की 119 वीं जयंती मनाई जा रही है। 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायपुर जिले में जन्मे भगत सिंह ने महज 11 वर्ष की आयु में ही स्वतंत्रता संग्राम में कूदने का निश्चय कर लिया था। दरअसल 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में सभा के दौरान जो नरसंहार हुआ था,उसका भगत सिंह के दिलो-दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा था कि उन्होंने तभी ठान लिया था कि वे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ेंगे। उसके बाद उन्होंने अपनी

पढ़ाई छोड़ दी और'नौजवान भारत सभा'की स्थापना की और देश को आजादी दिलाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया। फांसी के फंदे पर चढ़ने से पहले भगत सिंह ने नारा लगाया था'इंकलाब जिंदाबाद',जो आज भी भारत में स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष का प्रतीक है। इस नारे ने उनकी शहादत के बाद लोगों में क्रांतिकारी भावनाओं को जगाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। अपने अंतिम क्षणों में भगत सिंह ने अपने साथियों को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह अपने देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं और उन्हें कोई पछतावा नहीं है। वह प्रायः एक शेर गुनगुनाया करते थे...

जब से सुना है
मरने का नाम जिंदगी है,
सर पे कफन लपेटे
कातिल को ढूंढ़ते हैं।

भगत सिंह जब पांच साल के थे,तब एक दिन अपने पिता के साथ खेत में गए और वहां कुछ तिनके चुनकर जमीन में गाड़ने लगे। पिता ने उनसे पूछा कि यह क्या कर रहे हो तो मासूमियत से भगत सिंह ने जवाब दिया कि मैं खेत में बंदूकें बो रहा हूं। जब ये उगकर बहुत सारी बंदूकें बन जाएंगी, तब इनका उपयोग अंग्रेजों के खिलाफ करेंगे। भगत सिंह ने स्वतंत्रता सेनानी चन्द्रशेखर आजाद से अपनी पहली मुलाकात के समय ही जलती मोमबती की लौ पर हाथ रखकर कसम खाई थी कि उनका समस्त जीवन वतन पर ही कुर्बान होगा। भगत सिंह ने राजगुरु और सुखदेव के साथ मिलकर काकोरी कांड को अंजाम दिया। उसके बाद उन्होंने 17 दिसंबर 1928 को राजगुरु के साथ मिलकर चंद्रशेखर आजाद की मदद से लाहौर में सहायक पुलिस अधीक्षक रहे जेपी सांडर्स को मार डाला।

8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अलीपुर रोड में मौजूद ब्रिटिश इंडिया की इमरजेंसी सेंट्रल असेंबली के सभागार में अंग्रेजी हुकूमत को जगाने के लिए बम और पर्चे फेंके और इसके जरिये आजादी की मांग की आवाज को हर देशवासी के कानों तक पहुंचा दिया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बम विस्फोट में भाग लेने के आरोप में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया लेकिन जेल में अंग्रेजी हुकूमत की प्रताड़ना झेलने के बाद भी भगत सिंह ने आजादी की मांग को जारी रखा। उनका आंदोलन जेल की सलाखों के पीछे भी जारी रहा और उन्होंने कई लेख लिखकर अपने क्रांतिकारी विचारों से समूचे देश के जनमानस को जगाया। वह हिंदी, पंजाबी,उर्दू,बांग्ला और अंग्रेजी के अच्छे जानकार थे,ऐसे में उन्होंने देशभर में आजादी की लड़ाई के लिए अपने संदेश पहुंचाने के प्रयास जारी रखे। अदालती कार्यवाही के दौरान जब कोर्ट में पत्रकार होते तो भगत सिंह आजादी की मांग को लेकर जोशीली बातें किया करते,जो प्रायः अगले दिन अखबारों के पहले पन्ने पर नजर आती,जिन्हें पढ़कर देश की आजादी के लिए हर नागरिक का खून खौल उठता।

CMYK

दीवार गिरते देख परिवार ने छोड़ा घर,कुछ ही देर में भरभराकर जमींदोज हुआ कच्चा मकान

बतौली के गोविंदपुर में बारिश के बीच हादसा,राजकुमार का परिवार बाल-बाल बचा,घर का पूरा सामान मलबे में दबा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

दीवार के अचानक टुकड़े गिरते देख परिवार के छह सदस्यों ने कुछ ही पल में घर खाली कर दिया। उनके बाहर निकलने के थोड़ी देर बाद ही पूरा कच्चा मकान भरभराकर जमींदोज हो गया। समय रहते घर से बाहर निकलने के कारण परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित बच गए, लेकिन उनका आशियाना और घर में रखा पूरा सामान मलबे में दब गया। घटना बतौली विकासखंड के ग्राम गोविंदपुर की है। गांव निवासी 42 वर्षीय राजकुमार अपनी पत्नी,तीन बेटियों और एक बेटे के साथ कच्चे मकान में रहता था। शनिवार रात करीब 10 बजे परिवार खाना खाने के बाद सोने की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान अचानक मकान की मिट्टी की दीवार से टुकड़े गिरने लगे। दीवार की स्थिति देखकर राजकुमार को मकान ढहने का अंदेशा हुआ। उसने पत्नी और बच्चों को तत्काल बाहर निकाला। परिवार के बाहर निकलते ही कुछ ही देर में पूरा मकान ढह गया।

सामान निकालने तक का नहीं मिला मौका : मकान गिरने की रफ्तार इतनी तेज थी कि परिवार को अंदर रखा सामान बाहर निकालने का मौका तक नहीं मिला। बिस्तर, चावल, गेहूं, धान, बर्तन समेत घरेलू उपयोग का अधिकांश सामान मलबे में दब गया। कच्चे मकान से सटा ईट का एक कमरा भी बनाया गया था। मिट्टी की दीवार गिरने से उसका पिछला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हो गया।

अब परिवार के सामने सिर छिपाने की चिंता : मकान गिरने के बाद राजकुमार का परिवार खुले आसमान के नीचे आ गया है। दो दिन से हो रही बारिश के बीच परिवार के सामने रहने की समस्या खड़ी हो गई है। पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मदद की मांग की है। राजकुमार का कहना है कि यदि प्रशासन की ओर से रहने के लिए घर उपलब्ध करा दिया जाए तो परिवार को बड़ी राहत मिलेगी। प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि लगातार बारिश के कारण पुरानी मिट्टी की दीवार कमजोर हुई और मकान ढह गया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

कुत्ते के काटने पर 15 मिनट धोएं घाव,झाड़-फूंक में न गंवाएं समय

रेबीज के लक्षण आने के बाद बीमारी लगभग 100 फीसदी घातक,समय पर वैक्सीन से टल सकती है मौत

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

कुत्ते या किसी संदिग्ध पशु के काटने के बाद कई लोग पहले घरेलू उपचार या झाड़-फूंक का सहारा लेते हैं। रेबीज के मामले में यह लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। पशुधन विकास विभाग ने अपील की है कि पशु के काटने या खरोंचने पर घाव को तत्काल साबुन और बहते पानी से कम से कम 15 मिनट तक धोएं और बिना देरी किए अस्पताल पहुंचकर चिकित्सकीय सलाह लें। पशुधन विकास विभाग के अतिरिक्त उप संचालक डॉ. सीके मिश्रा के अनुसार रेबीज संक्रमित पशु की लार से फैलने वाला वायरल एवं जूनोटिक रोग है। इसका सबसे अधिक खतरा संक्रमित कुत्ते के काटने या खरोंचने से रहता है। सियार, लोमड़ी, बिल्ली सहित अन्य संक्रमित स्तनधारी पशुओं के संपर्क से भी संक्रमण हो सकता है। बीमारी के लक्षण शुरू होने के बाद रेबीज लगभग 100 प्रतिशत घातक होती है, लेकिन समय पर उपचार से इसकी रोकथाम संभव है।

मिर्च-चूना या तेल न लगाएं : पशु के काटने के बाद घाव पर मिर्च, चूना, तेल, मिट्टी, पौधों का रस या कोई अन्य घरेलू पदार्थ नहीं लगाना चाहिए। घाव धोने के बाद तत्काल स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल में चिकित्सकीय परामर्श लेना चाहिए। जरूरत के अनुसार चिकित्सक रेबीज वैक्सीन और रेबीज इम्युनोग्लोब्युलिन (आरआईजी) देने का निर्णय लेते हैं।

पालतू कुत्तों का टीकाकरण भी जरूरी : विभाग ने पालतू कुत्तों सहित जोखिम वाले पशुओं का नियमित एंटी-रेबीज टीकाकरण कराने पर जोर दिया है। समय पर बूस्टर डोज भी कराया जाना चाहिए। बड़े स्तर पर कुत्तों का टीकाकरण मानव रेबीज की रोकथाम की प्रमुख रणनीतियों में शामिल है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनियाभर में हर वर्ष करीब 59 हजार लोगों की रेबीज से मौत होती है। इनमें लगभग 40 प्रतिशत बच्चे 15 वर्ष से कम उम्र के होते हैं। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम 'स्ट्रॉन्गर टुगेदर' है, जिसमें मानव और पशु स्वास्थ्य से जुड़े विभागों तथा समुदाय के समन्वय पर जोर दिया गया है।

पेट्रोलिंग वाहन से ग्रामीण का पैर कुचलने का दावा निकला गलत

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की एसडीओपी ने की जांच, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान के बाद पुलिस ने दावे को बताया तथ्यहीन

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

लखनपुर थाना क्षेत्र में विसर्जन कार्यक्रम के दौरान पुलिस पेट्रोलिंग वाहन द्वारा ग्रामीणों से विवाद करने और कथित तौर पर एक व्यक्ति का पैर कुचलने का दावा करने वाला सोशल मीडिया वीडियो जांच में असत्य एवं तथ्यहीन पाया गया है। 23 सितंबर को वीडियो वायरल होने के बाद सरगुजा पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल जांच शुरू कराई। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल ने मामले की निष्पक्ष जांच के निर्देश एसडीओपी (ग्रामीण) राकेश कुमार बघेल को दिए थे। इसके बाद एसडीओपी ने लखनपुर थाना क्षेत्र के झिनपुरीपारा पहुंचकर मौके की जांच की। उन्होंने कथित पीड़ित, मोहल्लेवासियों, थाना प्रभारी और पेट्रोलिंग टीम में शामिल पुलिसकर्मियों के बयान दर्ज किए।

भीड़ हटाने के दौरान बनाया गया था वीडियो

जांच के दौरान प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि विसर्जन कार्यक्रम के दौरान सड़क पर लोगों की भीड़ खड़ी थी। इसी दौरान पेट्रोलिंग वाहन के पहुंचने पर पुलिसकर्मी सड़क से भीड़ को हटाने का प्रयास कर रहे थे। जांच में पुलिस टीम और मोहल्लेवासियों के बीच किसी तरह का विवाद या झगड़ा होने की पुष्टि नहीं हुई।

पुलिस के अनुसार मौके की जांच और लिए गए बयानों में ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया, जिससे यह साबित हो कि पेट्रोलिंग वाहन ने किसी व्यक्ति को कुचलने का प्रयास किया था। वायरल वीडियो के साथ किए जा रहे दावे जांच में तथ्यहीन पाए गए।

मधुमक्खियों के हमले में चली गई महिला की जान, बेटो को नहीं आने दी पास

-संवाददाता-

अम्बिकापुर,27 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)। मधुमक्खियों के झुंड ने खेत में उड़द तोड़ रही महिला पर अचानक हमला कर दिया। पास खड़ा उसका 10 वर्षीय बेटा मां को बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन मां ने उसे पास आने से रोक दिया और वहां से भाग जाने को कहा। बेटा भागकर घर पहुंचा और पिता को घटना की जानकारी दी। पत्नी को बचाने पहुंचे पति पर भी मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। वह भी पास नहीं जा सका। बाद में ग्रामीण कंबल लेकर पहुंचे और महिला को मधुमक्खियों से बचाकर घर लाए। गंभीर हालत में उसे मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना शनिवार शाम करीब 4 बजे गांधीनगर थाना क्षेत्र के ग्राम घंघरी आसदांड़ की है। यहां रहने वाली 30 वर्षीय बिफाईया पति जयप्रसाद अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ घर से कुछ दूरी पर खेत में उड़द तोड़ रही थी। बेटा कुछ दूरी पर खड़ा था। खेत के पास एक पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। बताया जा रहा है कि एक बाज के छत्ते से टकराने के बाद मधुमक्खियां अचानक आक्रोशित हो गईं और खेत में काम कर रही बिफाईया पर टूट पड़ीं।

मां ने बेटे को बचाया,खुद झेलती रही हमला

मधुमक्खियों के हमले के दौरान बेटा मां को बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ा, लेकिन बिफाईया ने उसे पास आने से रोक दिया और भागकर घर जाने को कहा। मां की बात मानकर बेटा घर पहुंचा और पिता को घटना की जानकारी दी। जयप्रसाद तत्काल खेत की ओर दौड़ा, लेकिन मधुमक्खियों ने उस पर भी हमला कर दिया। इसके बाद वह पत्नी के पास नहीं जा सका।

कंबल ओढ़ाकर ग्रामीणों ने निकाला

मधुमक्खियों के हमले की जानकारी मिलने पर ग्रामीण कंबल लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने महिला को कंबल से ढंककर मधुमक्खियों से बचाया और किसी तरह उसे घर तक लाए। हमले में महिला के पूरे शरीर पर मधुमक्खियों के डंक से सूजन आ गई थी और उसकी हालत गंभीर थी। परिजन उसे तत्काल मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन जांच के बाद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा है।

शासकीय कन्या स्कूल अम्बिकापुर की बालिकाओं का क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन

बालिका क्रिकेट की नई शुरुआत ने दिलाई राज्य स्तरीय उपलब्धि

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर में शैक्षणिक सत्र 2026-27 में बालिका क्रिकेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई नई पहल ने शानदार परिणाम हासिल किया है। विद्यालय की चार छात्राओं का चयन 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता 2026, राजनांदगांव के लिए सरगुजा संभाग की बालिका टीम सभी संभाग टीम हरा कर विजेता बनी। विजेता टीम मे विद्यालय की छात्राएं दृष्टि सिंह,आरती सिंह,पूर्णिमा केरकेट्टा एवं अनन्या यादव ने सरगुजा संभाग की टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सरगुजा संभाग की टीम ने राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए विजेता का खिताब अपने नाम किया। इन चारों बालिकाओं ने अपनी प्रतिभा से विद्यालय के साथ-साथ अम्बिकापुर शहर एवं सरगुजा का नाम गौरवान्वित किया। सत्र 2026-27 में बालिका क्रिकेट प्रशिक्षण की शुरुआत की गई। प्रशिक्षण प्रारंभ होने के समय विद्यालय की लगभग 28 बालिकाओं ने नियमित रूप से क्रिकेट का अभ्यास शुरू किया। इस प्रशिक्षण केंद्र को सफल बनाने में संस्था प्रमुख एवं विद्यालय के समस्त शिक्षकों का महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त हुआ। साथ ही सरगुजा जिला क्रिकेट संघ के कोषाध्यक्ष एवं पार्षद शैलेश कुमार सिंह का विशेष सहयोग रहा। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा के मार्गदर्शन में विद्यालय में बालिका क्रिकेट प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया गया। बालिकाओं के प्रशिक्षण एवं खेल कौशल को निखारने में अम्बिकापुर के क्रिकेट कोच शौभिक दासगुप्ता का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा।

विद्यालय परिवार ने दी बधाई : इस शानदार उपलब्धि पर विद्यालय की प्राचार्या अपर्णा दुबे सहित विद्यालय के समस्त शिक्षकों ने चयनित एवं विजेता टीम की सभी खिलाड़ी बालिकाओं को बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। विद्यालय परिवार ने बालिकाओं के उज्ज्वल खेल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि यह उपलब्धि अन्य छात्राओं को भी खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी। बालिका शिक्षा के साथ बालिका खेल को बढ़ावा की दिशा में शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अम्बिकापुर का यह प्रयास निश्चित रूप से सरगुजा की बालिकाओं के लिए खेल के नए अवसरों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है।

गंभीर अपराधों की जांच में अब डिजिटल साक्ष्य पर जोर

रिफ्रेशर कोर्स के दूसरे सत्र में एएसपी रितेश चौधरी ने ई-साक्ष्य,डिजिटल फॉरेंसिक और CCTNS की दी जानकारी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

नवीन आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन और पुलिस विवेचना को तकनीकी रूप से मजबूत बनाने के उद्देश्य से रक्षित केंद्र अंबिकापुर में आयोजित तीन दिवसीय विशेष रिफ्रेशर कोर्स का दूसरा बैच जारी है। प्रशिक्षण में वरिष्ठ आरक्षक से लेकर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्तर तक के विवेचकों को नवीन कानूनों के अनुरूप गंभीर अपराधों की जांच में तकनीकी एवं डिजिटल साक्ष्यों के संकलन और उपयोग की जानकारी दी जा रही है। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर आईजी सरगुजा रेंज दीपक कुमार झा के नेतृत्व और डीआईजी/ एसएसपी सरगुजा राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में यह प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। प्रशिक्षण सत्र में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा रितेश चौधरी ने अधिकारियों और जवानों को ई-साक्ष्य संकलन की प्रक्रिया समझाई।

ई-साक्ष्य से लेकर CCTNS तक प्रशिक्षण : प्रशिक्षण के दौरान भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत तकनीकी साक्ष्यों के महत्व और उनके सही तरीके से संकलन पर जानकारी दी गई। विवेचकों को ई-साक्ष्य,डिजिटल एवं फॉरेंसिक साक्ष्य प्रक्रिया,फिंगरप्रिंट तकनीक,ई-एफआईआर तथा क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम के उपयोग से संबंधित व्यावहारिक जानकारी दी गई। साइबर अपराधों की जांच में तकनीकी पहलुओं को समझने और डिजिटल साक्ष्यों को विवेचना में प्रभावी ढंग से शामिल करने पर भी विशेष जोर दिया गया।

173 पुलिस अधिकारी-कर्मचारी ले रहे प्रशिक्षण : रिफ्रेशर कोर्स का उद्देश्य ICJS प्रणाली के तहत नवीन आपराधिक कानूनों को मैदानी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पुलिस विवेचकों की तकनीकी दक्षता और कार्यकुशलता बढ़ाना है। वर्तमान बैच में सरगुजा रेंज की विभिन्न जिला इकाइयों से 173 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण में जिला मास्टर ट्रेनर्स, लोक अभियोजन अधिकारी,फॉरेंसिक एवं फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ तथा साइबर और CCTNS विशेषज्ञ अधिकारियों को आधुनिक विवेचना तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। रेंज के शेष विवेचकों का प्रशिक्षण भी चरणबद्ध तरीके से 7 नवंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रशिक्षण के दौरान नोडल अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रितेश चौधरी,डीएसपी सुरेश भगत, समन्वयक/रक्षित निरीक्षक तृप्ती सिंह राजपूत, एफएसएल एवं साइबर टीम के अधिकारी, प्रशिक्षु सूबेदार गुलशन चंद्रा,प्रशिक्षु सूबेदार पेमिन वर्मा सहित सरगुजा रेंज से आए पुलिस अधिकारी एवं जवान उपस्थित रहे।

सरगुजा के राहुल प्रधान का रणजी टीम में चयन

विकेटकीपर-बल्लेबाज को छत्तीसगढ़ की सीनियर टीम में मिली जगह, क्रिकेट प्रेमियों में खुशी

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

छत्तीसगढ़ क्रिकेट में सरगुजा का नाम एक बार फिर चमका है। सरगुजा के विकेटकीपर-बल्लेबाज राहुल प्रधान का छत्तीसगढ़ की रणजी टीम में चयन हुआ है। इससे पहले बल्लेबाज आशुतोष सिंह भी रणजी ट्रॉफी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। राहुल के चयन से जिले के क्रिकेट खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों में खुशी है। राहुल प्रधान लंबे समय से सरगुजा क्रिकेट संघ से जुड़े हैं और स्थानीय क्रिकेट में लगातार बेहतर प्रदर्शन करते रहे हैं। उनके प्रदर्शन और मेहनत के आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ की सीनियर टीम में जगह मिली है। अब वे बीसीसीआई की प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी में राज्य की टीम का प्रतिनिधित्व करेंगे। इससे पहले सरगुजा के आशुतोष सिंह ने 2016 में छत्तीसगढ़ की ओर से रणजी ट्रॉफी में पदार्पण किया था। उन्होंने 6 अक्टूबर 2016 को रणजी ट्रॉफी के 2016-17 सत्र में प्रथम श्रेणी क्रिकेट में पदार्पण करते हुए शतक लगाया था। 2017-18 सत्र में वे छत्तीसगढ़ टीम के प्रमुख रन स्कोररों में शामिल रहे।

स्थानीय खिलाड़ियों के लिए बढ़ा उत्साह : राहुल प्रधान के चयन को सरगुजा के स्थानीय क्रिकेट के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों,कोच और खिलाड़ियों ने उनके चयन पर बधाई दी है। उनका कहना है कि क्षेत्र में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उचित प्रशिक्षण और अवसर मिलने पर यहां के खिलाड़ी उच्च स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। राहुल के चयन के बाद सोशल मीडिया और विभिन्न क्रिकेट समूहों में भी उन्हें बधाई देने का सिलसिला जारी है।

पहाड़ी कोरवा बसाहटों तक पहुंच रही स्वास्थ्य सेवा

सात मोबाइल मेडिकल यूनिट लगा रहीं शिविर,जांच से दवा और जरूरत पर रेफरल तक की सुविधा

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

दूरस्थ पहाड़ी कोरवा बसाहटों में रहने वाले लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए पीएम जनमन योजना के तहत संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत जिले में संचालित सात एमएमयू निर्धारित क्षेत्रों में पहुंचकर स्वास्थ्य शिविर लगा रही हैं। यहां लोगों को चिकित्सकीय जांच, लैब जांच, उपचार और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सात एमएमयू की टीम दे रही सेवाएं : पीएम जनमन कार्यक्रम के तहत जिले में सात मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित हैं। प्रत्येक एमएमयू में चिकित्सक, स्टाफ नर्स, लैब तकनीशियन और ड्राइवर की टीम शामिल है। टीम दूरस्थ बसाहटों में पहुंचकर लोगों की स्वास्थ्य जांच करती है और आवश्यकता के अनुसार उपचार उपलब्ध कराती है।

जांच के साथ दवाइयां भी उपलब्ध : शिविरों में मरीजों की चिकित्सकीय जांच के साथ आवश्यक लैब जांच की सुविधा भी दी जा रही है। जांच रिपोर्ट और चिकित्सकीय परामर्श के आधार पर मरीजों को जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे दूरस्थ पहाड़ी कोरवा बसाहटों में रहने वाले लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लंबी दूरी तय करने की जरूरत कम हो रही है। स्वास्थ्य टीम मरीजों को बीमारी से बचाव और उपचार को लेकर काउंसलिंग भी देती है। जिन मरीजों को आगे की जांच अथवा उच्च स्वास्थ्य संस्था में उपचार की आवश्यकता होती है, उनके रेफरल के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा समन्वय किया जाता है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में भी सहयोग : मोबाइल मेडिकल यूनिट की टीमें स्वास्थ्य शिविरों के साथ विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भी सहयोग कर रही हैं। नियमित रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में पहुंचने वाली इन टीमों के माध्यम से स्वास्थ्य जांच, उपचार, दवा वितरण, काउंसलिंग और रेफरल जैसी सुविधाएं लोगों के नजदीक उपलब्ध हो रही हैं। पीएम जनमन के तहत संचालित यह पहल विशेष रूप से उन बसाहटों के लिए उपयोगी है, जहां भौगोलिक दूरी और आवागमन की कठिनाइयों के कारण स्वास्थ्य संस्थाओं तक पहुंच आसान नहीं है।

CMYK

कलेक्टर का आदेश भारी,शासन के निर्देश हल्के...

कुसमी जनपद में फिर पशु चिकित्सक को मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार, डेढ़ महीने में तीन बार बदला प्रभार, प्रशासनिक स्थिरता पर सवाल

सुदामा राजवाड़े

बलरामपुर,27 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

जनपद पंचायत कुसमी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (मुख्य कार्यपालन अधिकारी) के पद को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था एक बार फिर सवालों के घेरे में है। शासन स्तर से पशु चिकित्सकों को गैर-विभागीय दायित्वों से मुक्त रखने के निर्देशों के बावजूद कुसमी जनपद की कमान फिर पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी को सौंप दी गई है। कलेक्टर कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार अतिरिक्त उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं शंकरगढ़ डॉ. महेन्द्र सिंह मरकाम को उनके मूल दायित्वों के साथ जनपद पंचायत कुसमी के प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब पशु चिकित्सकों को गैर-विभागीय काम से दूर रखने के निर्देश पहले से मौजूद हैं, तो उसी व्यवस्था के विपरीत नया आदेश क्यों जारी किया गया? यही नहीं, महज डेढ़ महीने के भीतर मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार तीन बार बदले जाने से प्रशासनिक स्थिरता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

शासन का निर्देश फिर भी पशु चिकित्सक के पास जनपद की कमान : संचालनालय पशु चिकित्सा सेवाएं, छत्तीसगढ़

के पूर्व आदेश क्रमांक 1633/स्थापना-अ/जी-68/2017-18 में पशु चिकित्सा सहायक शल्यज्ञों को गैर-विभागीय दायित्वों से मुक्त कर मूल विभागीय कार्यों में वापस भेजने के निर्देश दिए गए थे। बताया जाता है कि कृषि मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में भी पशु चिकित्सकों से गैर-चिकित्सकीय एवं गैर-विभागीय कार्य लिए जाने पर नाराजगी जताई गई थी। इसके बावजूद कुसमी में पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी को ही जनपद पंचायत जैसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक संस्थान का अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाना प्रशासनिक फैसले की प्राथमिकताओं पर सवाल खड़ा करता है। सवाल यह भी है कि यदि विभागीय अधिकारियों को गैर-विभागीय दायित्वों से मुक्त रखने की नीति है, तो स्थानीय स्तर पर उसके विपरीत व्यवस्था बनाने की जरूरत क्यों पड़ी?

डेढ़ महीने में तीन बार प्रभार बदला,आखिर स्थायी मुख्य कार्यपालन अधिकारी क्यों नहीं?

कुसमी जनपद में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद को लेकर जिस तरह लगातार बदलाव हो रहे हैं, उससे प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। अधिकारी बदलने के साथ योजनाओं, पंचायतों और विकास कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी भी बदलती है। ऐसे में बार-बार प्रभार बदलना व्यवस्था की निरंतरता के लिहाज से गंभीर विषय है।

डेढ़ महीने में तीन बार प्रभार बदलने की नौबत क्यों आई?

क्या प्रशासन के पास इस महत्वपूर्ण पद के लिए नियमित अधिकारी उपलब्ध नहीं है? यदि उपलब्ध है तो स्थायी पदस्थापना क्यों नहीं की जा रही?

मंत्री-विधायक की खींचतान की चर्चा,प्रशासन मौन

कुसमी में मुख्य कार्यपालन अधिकारी पद को लेकर हो रहे बदलावों के पीछे राजनीतिक खींचतान की चर्चाएं भी स्थानीय स्तर पर जोर पकड़ रही हैं। राजनीतिक सूत्रों और जानकारों के अनुसार सत्ता पक्ष के एक प्रभावशाली मंत्री और क्षेत्रीय विधायक के बीच कथित मतभेदों का असर प्रशासनिक नियुक्तियों पर पड़ने की चर्चा है। हालांकि इन चर्चाओं की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्षों की ओर से ऐसा कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। फिर भी जिस तेजी से प्रभार बदले गए हैं, उससे इन चर्चाओं को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है। यदि नियुक्तियां पूरी तरह प्रशासनिक जरूरत के आधार पर हुई हैं तो प्रशासन को इसकी वजह सार्वजनिक करने में क्या आपत्ति है?

पहले भी पशु चिकित्सक के पास रही है जनपद की कमान

कुसमी जनपद में पशु चिकित्सक को मुख्य कार्यपालन अधिकारी का प्रभार दिए जाने का यह पहला मामला नहीं बताया जा रहा है। इससे पहले भी लंबे समय तक पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारी के पास जनपद की जिम्मेदारी रही है। स्थानीय स्तर पर उस अवधि के दौरान विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों को लेकर अनियमितताओं और भ्रष्टाचार की शिकायतें सामने आने की बात कही जाती रही है। हालांकि इन आरोपों की पुष्टि संबंधित जांच या सक्षम प्राधिकारी के निष्कर्षों से ही हो सकती है। ऐसे में दोबारा इसी तरह की व्यवस्था बनने से ग्रामीण विकास कार्यों की निगरानी और पारदर्शिता को लेकर सवाल उठना लाजिमी है।

मौजूदा प्रभारी बोले- आदेश की जानकारी है,अभी प्रभार नहीं सौंपा

मामले में वर्तमान प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी से जानकारी लेने पर उन्होंने बताया कि नए मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति संबंधी आदेश की जानकारी उन्हें मिली है,लेकिन अभी तक उन्होंने प्रभार नहीं सौंपा है। आगे की स्थिति शासन और प्रशासन के स्तर पर तय होगी।

अब सवाल आदेश से ज्यादा व्यवस्था पर

कुसमी का मामला केवल एक अधिकारी को अतिरिक्त प्रभार देने तक सीमित नहीं है। असल सवाल प्रशासनिक व्यवस्था की स्थिरता और शासन के निर्देशों के पालन का है। यदि पशु चिकित्सकों को गैर-विभागीय दायित्वों से मुक्त रखने का निर्देश है,तो कुसमी में उसका पालन क्यों नहीं हुआ? यदि यह नियुक्ति नियमों के अनुरूप है तो उसका आधार क्या है? और यदि प्रशासन को तत्काल व्यवस्था चलाने के लिए अतिरिक्त प्रभार देना ही था, तो स्थायी मुख्य कार्यपालन अधिकारी की नियुक्ति कब होगी? बार-बार बदलते प्रभार के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि कुसमी जनपद में प्रशासन चलेगा या फिर प्रभार बदलने का सिलसिला ही चलता रहेगा? अब नजर इस बात पर है कि शासन स्तर पर इस नियुक्ति और पशु चिकित्सक को गैर-विभागीय प्रभार दिए जाने के मामले में कोई स्पष्टीकरण या पुनर्विचार होता है या नहीं।

पोषण माह में एनीमिया और कुपोषण से बचाव का दिया संदेश..मेडिकल कॉलेज में जागरूकता कार्यक्रम

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

राजमाता देवेंद्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं संबद्ध चिकित्सालय में पोषण माह के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें गर्भवती महिलाओं,माताओं और बच्चों के लिए संतुलित एवं पौष्टिक आहार के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही एनीमिया और कुपोषण की रोकथाम के उपाय बताए गए। कार्यक्रम में अधिष्ठाता डॉ. अविनाश मेश्राम, अस्पताल अधीक्षक डॉ. आरसी आर्या, सिविल सर्जन डॉ. जेके रेलवानी, खाद्य एवं पोषण विभाग की विभागाध्यक्ष डॉ. अल्का जैन सहित चिकित्सक, अधिकारी, कर्मचारी और नर्सिंग कॉलेजों के छात्र-छात्राएं शामिल हुए।

डॉ. अल्का जैन ने गर्भवती महिलाओं को संतुलित आहार, आयरन से भरपूर खाद्य पदार्थ और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले भोजन की जानकारी दी। शिशु रोग विभाग के सहायक प्राध्यापक डॉ. आलोक ने बच्चों के उचित विकास, रोगों से बचाव और कुपोषण रोकने में संतुलित आहार की भूमिका बताई। डायटिशियन सुमन सिंह ने भी आयरन युक्त और पौष्टिक आहार के संबंध में जानकारी दी। स्त्रीरोग एवं प्रसूति वार्ड में भर्ती महिलाओं को एनीमिया के कारण, बचाव और उपचार के बारे में परामर्श दिया गया। ओपीडी में आने वाली महिलाओं को भी गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन युक्त भोजन के सेवन के लिए जागरूक किया गया। पोषण पुनर्वास केंद्र में भर्ती कुपोषित बच्चों की माताओं को उचित पोषण और स्तनपान के महत्व की जानकारी दी गई। बच्चों के समुचित विकास के लिए संतुलित आहार, नियमित देखभाल और पोषण संबंधी सावधानियों के बारे में भी बताया गया।

नुक्कड़ नाटक और रंगोली से दिया संदेश : नर्सिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों ने पोषण जागरूकता के लिए नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और रंगोली प्रतियोगिता में हिस्सा लिया।

शासकीय जीएनएम नर्सिंग कॉलेज, मदर टेरेसा नर्सिंग कॉलेज और पार्वती कॉलेज ऑफ नर्सिंग के विद्यार्थियों ने संतुलित आहार,एनीमिया से बचाव, आयरन युक्त भोजन और कुपोषण रोकने के संदेश दिए। अधिष्ठाता डॉ. अविनाश मेश्राम और अस्पताल अधीक्षक डॉ. आरसी आर्या ने कहा कि गर्भावस्था से लेकर शिशु के विकास तक उचित पोषण जरूरी है।

सास-बहू,पति-पत्नी ने साथ दी महापरीक्षा,60 पार की महिलाओं ने भी दिखाई सीखने की ललक

सरगुजा में 4198 नवसाक्षरों ने दी परीक्षा;247 केंद्रों पर हुआ आयोजन,केंद्रीय जेल के 96 बंदी भी हुए शामिल

-संवाददाता-
अम्बिकापुर,27 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

उम्र की कोई सीमा नहीं होती और सीखने की कोई उम्र नहीं होती–सरगुजा में रविवार को आयोजित राज्यव्यापी महापरीक्षा में इसका जीवंत उदाहरण देखने को मिला। कहीं सास और बहू एक साथ परीक्षा देने पहुंचीं तो कहीं पति-पत्नी ने एक ही केंद्र में बैठकर अक्षर ज्ञान की परीक्षा दी। 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं ने भी पूरे उत्साह के साथ परीक्षा दी। कई महिलाएं अपने छोटे बच्चों को साथ लेकर परीक्षा केंद्र पहुंचीं। उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत जिले के 247 परीक्षा केंद्रों में आयोजित महापरीक्षा में कुल 4198 नवसाक्षर शिक्षार्थी शामिल हुए। परीक्षा के लिए जिले में 4306 परीक्षार्थियों का लक्ष्य रखा गया था। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित परीक्षा की जिला, विकासखंड और ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी की गई।

गांवों में परीक्षा का माहौल उत्सव जैसा रहा : महापरीक्षा को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खासा उत्साह नजर आया। एक ही परिवार के कई सदस्य साथ परीक्षा देने पहुंचे। सास-बहू, पति-पत्नी और देवरानी-जेठानी के साथ दिव्यांगजनों ने भी परीक्षा में सहभागिता की। उम्रदराज महिलाओं की मौजूदगी ने इस अभियान को अलग पहचान दी। इनमें ऐसे लोग भी शामिल रहे, जो कभी स्कूल नहीं जा सके या शुरुआती कक्षाओं के बाद पढ़ाई छोड़ चुके थे। साक्षरता कक्षाओं के माध्यम से पढ़ना-लिखना सीखने के बाद इन नवसाक्षरों ने अब परीक्षा देकर अपनी सीख को परखा।

जेल में भी लगी परीक्षा, 96 बंदियों ने लिखी अपनी नई शुरुआत : केंद्रीय जेल अम्बिकापुर में भी महापरीक्षा के लिए विशेष केंद्र बनाया गया था। यहां 35 महिला और 61 पुरुष बंदियों समेत कुल 96 नवसाक्षर बंदी परीक्षा में शामिल हुए। केंद्रीय जेल की वरिष्ठ परिवीक्षा एवं कल्याण अधिकारी वाणी मुखर्जी के अनुसार बंदियों को भी साक्षरता अभियान से जोड़ा गया है। परीक्षा में उनकी सहभागिता यह बताती है कि शिक्षा का अवसर जेल की दीवारों के भीतर भी पहुंच सकता है।

राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अधिकारियों ने देखी व्यवस्था : भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के उप सचिव चरणजीत सिंह तनेजा समेत समग्र शिक्षा छत्तीसगढ़ और राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अधिकारियों ने केंद्रीय जेल स्थित परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय दल ने अम्बिकापुर विकासखंड के कोटेया, टपरकेला तथा मैनपाट के अवराडांड स्थित उल्लास परीक्षा केंद्रों का भी जायजा लिया। दल ने कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय अम्बिकापुर का भी अवलोकन किया। अधिकारियों ने परीक्षा व्यवस्था देखने के साथ नवसाक्षर शिक्षार्थियों से बातचीत कर उनका उत्साह बढ़ाया।

15 वर्ष से अधिक उम्र के शिक्षार्थी परीक्षा में शामिल : जिला परियोजना अधिकारी गिरीश गुप्ता ने बताया कि परीक्षा में 15 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे शिक्षार्थियों को शामिल किया गया, जो शिक्षा की मुख्यधारा से बाहर रह गए थे अथवा प्रारंभिक स्तर पर ही स्कूल छोड़ चुके थे। साक्षरता कक्षाओं में उल्लास प्रवेशिका के सात पाठ या 200 घंटे की पढ़ाई पूरी करने वाले नवसाक्षरों को भी परीक्षा में शामिल किया गया।

अधिकारियों ने अलग-अलग केंद्रों पर की मॉनिटरिंग

महापरीक्षा के दौरान जिले के विभिन्न विकासखंडों में अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. दिनेश कुमार झा ने उदयपुर के सुखरीभण्डार और कुमदेवा केंद्रों का निरीक्षण किया। डाइट प्राचार्य केसी गुप्ता ने बतौली,जिला मिशन समन्वयक सर्वजीत पाठक ने लखनपुर,सहायक संचालक शिक्षा रविशंकर तिवारी ने उदयपुर और सहायक संचालक शिक्षा पूनम पाण्डेय ने लुण्ड्रा में मॉनिटरिंग की। मैनपाट में सहायक जिला परियोजना अधिकारी सुनील तिवारी तथा अम्बिकापुर में सहायक परियोजना समन्वयक करुणेश श्रीवास्तव ने परीक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। कलेक्टर अजीत वसंत के मार्गदर्शन और जिला पंचायत सीईओ रोमा श्रीवास्तव के नेतृत्व में आयोजित अभियान के सफल संचालन में जन शिक्षण संस्थान, जिला एवं विकासखंड शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों तथा संकुल शैक्षिक समन्वयकों का सहयोग रहा। कंट्रोल रूम से परीक्षार्थियों की जानकारी राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण को भेजी जाती रही। महापरीक्षा के आंकड़े भले 4198 परीक्षार्थियों के हों, लेकिन इसके पीछे उन लोगों की कहानी है, जिन्होंने उम्र, परिस्थितियों और बीते समय की परवाह किए बिना दोबारा पढ़ना-लिखना सीखने का फैसला किया।

ओडिशा से एमपी जा रही गांजे की 9 क्विंटल 19 किलो की बड़ी खेप नागपुर में पकड़ी

एनएच-43 पर एमसीबी लगाकर संदिग्ध वाहनों की जांच के दौरान मिली सफलता,ओडिशा से कटनी तक फैले नेटवर्क की कड़ियां खंगाल रही पुलिस

-संवाददाता-
एमसीबी 27 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एमसीबी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 क्विंटल 19 किलोग्राम गांजा बरामद करने का दावा किया है, पुलिस के अनुसार गांजे की यह बड़ी खेप ओडिशा से मध्यप्रदेश ले जाई जा रही थी, नागपुर चौकी और पोड़ी थाना पुलिस की कार्रवाई में दो पिकअप वाहनों को जब्त करते हुए छह आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 4 करोड़ 59 लाख 50 हजार बताई गई है, जबकि दोनों पिकअप वाहनों की अनुमानित कीमत करीब 10 लाख है, पुलिस के अनुसार कुल जब्त मशरूका की कीमत 4 करोड़ 69 लाख 50 हजार है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद अब जांच का दायरा केवल पकड़े गए छह आरोपियों तक सीमित नहीं है, पुलिस गांजे के स्रोत, सप्लायर, परिवहनकर्ता और अंतिम गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, प्रारंभिक पूछताछ में खेप के ओडिशा से मध्यप्रदेश ले जाए जाने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने पूरे नेटवर्क की End-to-End विवेचना शुरू करने की बात कही है।

एनएच-43 पर चेकिंग के दौरान मिली बड़ी सफलता- पुलिस के अनुसार पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक झा और पुलिस अधीक्षक एमसीबी रत्ना सिंह के निर्देशन में जिले में अवैध मादक पदार्थ और नशे के कारोबार के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, इसी क्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल विश्वकर्मा के मार्गदर्शन में नागपुर चौकी पुलिस द्वारा एनएच-43 हाईवे पर एमसीबी लगाकर संदिग्ध वाहनों की जांच की जा रही थी, इसी दौरान पुलिस टीम ने दो संदिग्ध पिकअप वाहनों को रोककर उनकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान वाहनों में बड़ी मात्रा में गांजा मिलने की बात सामने आई, इसके बाद दोनों वाहनों को कब्जे में लेकर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लिया, जब्त गांजे का वजन 9 क्विंटल 19 किलोग्राम बताया गया है, इतनी बड़ी मात्रा में गांजे की बरामदगी के बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों से पूछताछ शुरू की।

4.59 करोड़ के गांजे ने बढ़ाई तस्करी नेटवर्क की जांच- पुलिस के अनुसार जब्त गांजे की अनुमानित कीमत 4,59,50,000 है, इसके अलावा तस्करी में इस्तेमाल किए जा रहे दोनों पिकअप वाहनों की अनुमानित कीमत करीब 10,00,000 बताई गई है, इस तरह कार्रवाई में कुल 4,69,50,000 का मशरूका जब्त किए जाने का दावा पुलिस ने किया है, इतनी बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ पकड़े जाने के बाद पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि यह खेप किसी एक व्यक्ति के लिए भेजी जा रही थी या इसके पीछे संगठित तस्करी नेटवर्क काम कर रहा था।

ओडिशा से मध्यप्रदेश तक तस्करी का रास्ता खंगाल रही पुलिस- प्रारंभिक पूछताछ एवं विवेचना में पुलिस को गांजा ओडिशा से मध्यप्रदेश ले जाए जाने की जानकारी मिली है,गिरफ्तार आरोपियों में चार आरोपी ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के अलग-अलग क्षेत्रों के बताए गए हैं, जबकि दो महिला आरोपी मध्यप्रदेश के कटनी जिले की निवासी बताई गई हैं,यह तथ्य पुलिस की जांच के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, अब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ओडिशा से गांजा किस स्थान से लोड किया गया, रास्ते में किन लोगों के संपर्क में आरोपी रहे और मध्यप्रदेश में इसकी डिलीवरी किस स्थान पर होनी थी,पुलिस के अनुसार मामले में मादक पदार्थ के स्रोत, सप्लायर,परिवहनकर्ता और अंतिम गंतव्य की जानकारी जुटाने के लिए अलग-अलग टीमों को लगाया गया है।

छह आरोपी गिरफ्तार, पुलिस प्रेस नोट के अनुसार मामले में गिरफ्तार छह आरोपियों की पहचान इस प्रकार बताई गई है...

1. अनिल टोप्पो, पिता जोहनेश टोप्पो,उम्र 26 वर्ष, जाति मुंडा,निवासी बिरमित्रापुर,थाना बिरमित्रापुर, जिला सुंदरगढ़,ओडिशा।
2. राजित इंद्रवार,पिता रमेश इंद्रवार, उम्र 20 वर्ष, जाति महली, निवासी टोंगरीटोला,थाना बिरमित्रापुर, जिला सुंदरगढ़,ओडिशा।
3. विनय टेटे,पिता स्व. अगपति, उम्र 33 वर्ष,निवासी सुंदरगढ़,ओडिशा।
4. अरुप मिर्धा,पिता मेहजदु मिर्धा,उम्र 22 वर्ष,निवासी बेमता कोकेरामा,थाना हतिबारी,जिला सुंदरगढ़, ओडिशा।
5. अलबिरनी, पति चेलू,उम्र 25 वर्ष,जाति गोंड,निवासी खीरेनी,थाना बरही, जिला कटनी, मध्यप्रदेश।
6. सुनीता,पति सरवरिश,उम्र 22 वर्ष,जाति गोंड, निवासी ग्राम खीरेनी,थाना बरही,जिला कटनी,मध्यप्रदेश।

पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के आधार पर इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटाने में लगी है।

दो पिकअप वाहन जब्त, नंबर भी सामने आए- पुलिस ने गांजा परिवहन में इस्तेमाल किए जा रहे दोनों पिकअप वाहनों को भी जब्त किया है। पुलिस के अनुसार वाहनों के नंबर OD 14 AL 9682, OD 14 AA 3468 बताए गए हैं, अब पुलिस वाहनों के स्वामित्व, उनके पिछले आवागमन, चालक और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच कर रही है, वाहनों की आवाजाही से जुड़े रिकॉर्ड से यह पता लगाने में मदद मिल सकती है कि दोनों वाहन पहले भी इस तरह की किसी गतिविधि में इस्तेमाल हुए थे या नहीं।

अपराध क्रमांक 147/2026 में कार्रवाई- पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 147/2026 दर्ज कर धारा 20(b), 2(C) NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जब्त गांजा और वाहनों को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया है तथा आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है, आगे की विवेचना में पुलिस यह पता लगाएगी कि बरामद मादक पदार्थ कहां से आया और इसकी सप्लाई किस व्यक्ति अथवा नेटवर्क तक पहुंचनी थी।

'एंड-टू-एंड' जांच पर पुलिस का जोर- इस मामले में पुलिस ने End-to-End विवेचना की बात कही है, इसका मतलब जांच का फोकस केवल गांजा लेकर जा रहे आरोपियों तक सीमित न रहकर पूरे सप्लाई चैन तक पहुंचने पर है,पुलिस के सामने अब मुख्य रूप से ये सवाल हैं गांजा कहां से खरीदा गया किसने सप्लाई किया? किसने वाहन उपलब्ध कराए? परिवहन के लिए किन लोगों का इस्तेमाल हुआ? मध्यप्रदेश में किसे डिलीवरी दी जानी थी? क्या इसके पीछे पहले से सक्रिय कोई नेटवर्क है? क्या इस नेटवर्क में और लोग भी शामिल हैं? इन्हीं सवालों के जवाब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ और तकनीकी तथा दस्तावेजी जांच के माध्यम से तलाशे जा रहे हैं।

चार आरोपी ओडिशा के, दो मध्यप्रदेश के- गिरफ्तार छह आरोपियों की भौगोलिक पृष्ठभूमि भी जांच में महत्वपूर्ण है, पुलिस के अनुसार चार आरोपी सुंदरगढ़, ओडिशा क्षेत्र के हैं, जबकि दो आरोपी कटनी,मध्यप्रदेश के निवासी हैं,इससे पुलिस के सामने ओडिशा से मध्यप्रदेश तक फैले संभावित संपर्कों की जांच का रास्ता खुलता है,हालांकि अभी पुलिस की प्रारंभिक जांच के आधार पर ही यह जानकारी सामने आई है और पूरे नेटवर्क की भूमिका जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

कार्रवाई में इन पुलिसकर्मियों की रही भूमिका- पुलिस के अनुसार इस कार्रवाई में नागपुर चौकी प्रभारी शेषनारायण सिंह (सउनि),एएसआई रामकृपाल सिंह, प्रधान आरक्षक संजय पाण्डेय, मुमताज खान और ललित यादव,आरक्षक अखिलेश जायसवाल,मिथलेश गुप्ता, सुनील सोनवानी,आदित्य कुर्रे,वीरेंद्र कुमार,विजय कुमार साहू और अरविन्द मिश्रा,महिला आरक्षक रेखा कुजूर तथा सैनिक शैलेन्द्र सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

बड़ी खेप पकड़ने के बाद अब असली चुनौती नेटवर्क तक पहुंचने की- नागपुर हाईवे पर हुई यह कार्रवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पुलिस के अनुसार एक साथ दो पिकअप वाहनों से 9 क्विंटल 19 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है,बरामदगी की मात्रा और अनुमानित कीमत दोनों ही बड़ी हैं,लेकिन इतनी बड़ी खेप पकड़ने के बाद पुलिस के सामने अगली चुनौती इससे भी बड़ी है–इस खेप के पीछे मौजूद पूरे नेटवर्क तक पहुंचना, यदि पूछताछ में सप्लायर,खरीदार,वित्तीय लेन-देन और परिवहन से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी सामने आती है तो कार्रवाई का दायरा और बढ़ सकता है,पुलिस ने भी स्पष्ट किया है कि मामले में तस्करी से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भूमिका की जांच जारी है।

एमसीबी पुलिस का अभियान जारी-जिला पुलिस एमसीबी के अनुसार जिले में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा, नागपुर में हुई कार्रवाई को इसी अभियान की बड़ी कड़ी के रूप में देखा जा रहा है, अब नजर इस बात पर रहेगी कि 9 क्विंटल 19 किलो गांजे की इस बड़ी खेप के बाद पुलिस की जांच ओडिशा से मध्यप्रदेश तक फैले कथित सप्लाई नेटवर्क में किन-किन लोगों तक पहुंचती है और गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में आगे क्या खुलासा सामने आता है।

न्याय चाहिए या न्यायालय से पहले फैसला? न्याय सड़क पर मिलेगा या न्यायालय में? भीड़ का दबाव फैसला नहीं हो सकता

एफआईआर से हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला,फिर अदालत के फैसले से पहले सड़क पर क्यों?

गिरफ्तारी हो गई,जांच चल रही,कोर्ट में सुनवाई जारी...फिर न्याय सड़क पर क्यों मांगा जा रहा?

जब फैसला अदालत को करना है, तो सड़क पर किस फैसले की मांग?

न्यायालय में विचाराधीन मामला, फिर सड़क पर फैसला कराने की कोशिश क्यों?

दोष सिद्ध होना बाकी,लेकिन सड़क पर फैसला पहले! आईसी मार्ट प्रकरण ने खड़ा किया बड़ा सवाल...

संविधान ने शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार दिया है,लेकिन फैसला सुनाने का अधिकार न्यायालय को...आईसी मार्ट प्रकरण में आंदोलन,रैली और पुतला दहन के बीच सबसे बड़ा सवाल न्याय की प्रक्रिया का...

दोष सिद्ध होना अभी बाकी है...फिर भी भीड़ के दबाव में कार्रवाई की मांग किस दिशा में ले जा रही है व्यवस्था? संविधान न्यायालय को फैसला करने का अधिकार देता है,सड़क को नहीं...

-रवि सिंह-

बैकुंठपुर,27 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

न्याय आखिर मिलेगा कहां? सड़क पर,भीड़ के बीच,नारेबाजी में,रैली निकालकर,पुतला दहन करके,किसी कार्यालय का घेराव करके या फिर न्यायालय में? यह सवाल आज इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि आईसी मार्ट प्रकरण में न्याय की मांग को लेकर सड़क पर आंदोलन किया गया, जबकि मामला पहले से पुलिस की जांच के दायरे में है और न्यायालय में भी विचाराधीन है,फिर भी 27 सितंबर को आदिवासी,मूलनिवासी एवं अन्य पिछड़ा वर्ग सामाजिक संगठनों की ओर से धरना,रैली,पुतला दहन, कलेक्टर कार्यालय घेराव और ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया था,प्रशासन ने भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग-अलग स्थानों पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई है,यह अपने आप में एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है–क्या न्याय की मांग अब न्यायिक प्रक्रिया के समानांतर सड़क पर फैसला सुनाने की दिशा में बढ़ रही है? आज कोरिया में आईसी मार्ट प्रकरण को लेकर सड़क पर उठने वाली आवाज सिर्फ एक मामले की आवाज नहीं है, यह उस बड़े सवाल की आवाज है, जिससे आने वाले समय में हमारी पूरी न्याय व्यवस्था का चरित्र तय हो सकता है।

कल का दिन इसलिए महत्वपूर्ण था...

आईसी मार्ट प्रकरण में 27 सितंबर को सामाजिक संगठनों की ओर से सभा, रैली,पुतला दहन और कलेक्टर कार्यालय तक पहुंचकर ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम रखा गया था,इसके लिए प्रशासन ने भी कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अलग-अलग स्थानों पर कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी लगाई है,अर्थात आज सड़क पर आक्रोश दिखाई दिया,लोग अपनी मांग रखेंगे,नारे लगें,प्रशासन से न्याय की मांग की,यह लोकतंत्र में संभव है और शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार भी है,लेकिन इसी लोकतांत्रिक अधिकार के बीच एक बेहद असहज सवाल खड़ा करना जरूरी है...जब मामला पहले ही न्यायालय में है,तब सड़क पर आखिर किस न्याय की तलाश की जा रही है?

एक गिरफ्तारी हो चुकी है,फिर भी क्या न्याय नहीं हुआ?

आईसी मार्ट प्रकरण में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है,एक आरोपी की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, यानी पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है,लेकिन यहां एक कानूनी और नैतिक अंतर समझना जरूरी है की गिरफ्तारी दोषसिद्धि नहीं है,किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है,उसके खिलाफ जांच हो सकती है,आरोप लगाए जा सकते हैं,मुकदमा चल सकता है...लेकिन जब तक न्यायालय उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर दोष सिद्ध नहीं करता,तब तक उसे कानूनन दोषी नहीं माना जा सकता,यही कारण है कि न्यायालय में सुनवाई होती है,यही कारण है कि आरोपी को बचाव का अधिकार दिया जाता है,यही कारण है कि अभियोजन को अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना पड़ता है,और यही कारण है कि अंततः न्यायालय निर्णय देता है,अगर गिरफ्तारी ही दोष सिद्धि है, तो मुकदमे की जरूरत क्या है?

क्या अब न्यायालय के फैसले का इंतजार नहीं होगा?–क्या किसी मामले में एफआईआर दर्ज होना पर्याप्त नहीं? क्या पुलिस की जांच शुरू हो जाना पर्याप्त नहीं? क्या एक आरोपी की गिरफ्तारी भी पर्याप्त नहीं? क्या मामला न्यायालय तक पहुंच जाना भी पर्याप्त नहीं? अगर इन सबके बावजूद न्याय पाने के लिए सड़क पर रैली,घेराव और पुतला दहन करना जरूरी हो गया है,तो फिर सवाल केवल किसी आईसी मार्ट प्रकरण का नहीं रह जाता,सवाल यह हो जाता है कि आखिर हमारे देश में न्याय का अंतिम मंच कौन है–न्यायालय या भीड़?

और इस मामले में तो हाईकोर्ट खुद सुनवाई कर रहा है–यह कोई ऐसा मामला नहीं है जिसमें पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हों और न्याय की कोई प्रक्रिया शुरू ही न हुई हो,मामला हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है, 8 सितंबर 2026 के आदेश में हाईकोर्ट ने जगत कुमार बैद और दीपक बैद को अंतरिम अग्रिम जमानत दी, न्यायालय ने आदेश में पुलिस प्रशासन द्वारा जांच किए जाने के तरीके को भी ध्यान में रखा,और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि हाईकोर्ट ने पुलिस से कई सवालों के जवाब मांगे हैं,कोर्ट ने पूछा है कि जब एफआईआर 9 जुलाई को दर्ज हुई तो 09 जुलाई को फरारी पंचनामा जारी करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? उस अवधि में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए क्या कदम उठाए गए? आरोपियों की तलाश में कौन-सा वाहन इस्तेमाल किया गया? CCTV DVR की रिपोर्ट क्या है? अर्थात न्यायालय ने जांच के सवालों को अपने हाथ में लिया है,फिर आज सड़क पर फैसला जल्दी करवाने की जरूरत आखिर क्यों?

न्यायालय ने सवाल पूछे हैं, इसका मतलब यह भी है कि प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई–यह बात आंदोलन करने वालों को ही नहीं, बल्कि प्रशासन और समाज के हर व्यक्ति को समझनी होगी,हाईकोर्ट ने किसी आरोपी को दोषी नहीं ठहराया है,हाईकोर्ट ने पुलिस को भी दोषी नहीं ठहराया है, अदालत ने कहा है–इन सवालों का जवाब दीजिए,दस्तावेज दीजिए,DVR रिपोर्ट प्रस्तुत कीजिए,फरारी पंचनामा की आवश्यकता स्पष्ट कीजिए,तलाश में इस्तेमाल वाहन की जानकारी दीजिए,अर्थात न्यायालय अभी साक्ष्यों और प्रक्रिया को परख रहा है, तो क्या समाज को न्यायालय को अपना काम करने के लिए समय नहीं देना चाहिए?

क्या भीड़ की ताकत न्याय का नया पैमाना बनेगी?–आज सबसे खतरनाक सवाल यही है,मान लीजिए किसी मामले में 500 लोग सड़क पर उतरते हैं,कल किसी दूसरे मामले में 5 हजार लोग उतरते हैं,परसों 20 हजार लोग उतरते हैं तो क्या जिसके साथ ज्यादा लोग होंगे,उसका दावा ज्यादा मजबूत माना जाएगा? क्या जिसके पास ज्यादा नारे होंगे,उसका साक्ष्य ज्यादा मजबूत माना जाएगा? क्या जिसके प्रदर्शन में ज्यादा भीड़ होगी,प्रशासन उसी के दबाव में गिरफ्तारी करेगा? अगर ऐसा होने लगा तो फिर न्याय साक्ष्यों से नहीं, भीड़ की संख्या से तय होने लगेगा,और यह किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए बेहद खतरनाक स्थिति होगी।

आज की भीड़ कल किसी और के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है–आज हम किसी एक मामले में भीड़ के दबाव को सही मान लें,लेकिन कल यही तरीका किसी दूसरे व्यक्ति के खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है,किसी पर आरोप लगा,लोग सड़क पर उतर गए,नारे लगे,कार्यालय घेरा गया,गिरफ्तारी की मांग हुई, प्रशासन पर दबाव पड़ा,और गिरफ्तारी हो गई, फिर दोष सिद्ध होने से पहले ही समाज ने उसे अपराधी मान लिया, क्या हम ऐसी व्यवस्था चाहते हैं? अगर नहीं,तो आज ही यह सीमा तय करनी होगी कि विरोध लोकतंत्र का हिस्सा है,लेकिन फैसला न्यायालय का ही रहेगा।

हाईकोर्ट ने खुद जांच के महत्वपूर्ण पहलुओं पर सवाल उठाए हैं–यहां एक और महत्वपूर्ण बात है की 21 अगस्त को हाईकोर्ट ने कोरिया पुलिस की वेबसाइट पर जारी उस प्रेस रिलीज को लेकर सवाल उठाया था, जिसमें आरोपियों को फरार बताया गया था जबकि उनकी अग्रिम जमानत याचिका न्यायालय में लंबित थी, अदालत ने तत्कालीन एसपी को यह बताने के लिए कहा था कि प्रेस रिलीज जारी करने से पहले पुलिस ने क्या सामग्री जुटाई थी और क्या अग्रिम जमानत लंबित होने की स्थिति का सत्यापन किया गया था, उसी आदेश में CCTV DVR को लेकर भी सवाल दर्ज हुआ था। न्यायालय के समक्ष यह बताया गया था कि 7 जुलाई की घटना के बाद DVR 10 जुलाई को जब्त किया गया था, लेकिन उसे फॉरेंसिक लैब नहीं भेजा गया था, अब 8 सितंबर के आदेश में फिर DVR रिपोर्ट और पुलिस की कार्रवाई से संबंधित जानकारी मांगी गई है, तो फिर सवाल यह भी है की जब न्यायालय खुद जांच के इन पहलुओं को देख रहा है, तब समाज को न्यायालय के अगले कदम का इंतजार क्यों नहीं करना चाहिए?

अगर जांच गलत है तो उसे सही कराने का रास्ता भी कानून में है- किसी को यह अधिकार नहीं कि वह कहे—अब कुछ नहीं किया जा सकता, कानून में रास्ते हैं, जांच पर सवाल है तो उच्च अधिकारियों के सामने शिकायत की जा सकती है, निष्पक्ष जांच की मांग न्यायालय से की जा सकती है, नए साक्ष्य सामने आएं तो जांच एजेंसी के समक्ष रखे जा सकते हैं, पुलिस की कार्रवाई से असंतोष है तो न्यायिक हस्तक्षेप मांगा जा सकता है, यानी न्याय पाने के लिए संस्थागत रास्ते मौजूद हैं, फिर सड़क पर दबाव ही सबसे प्रभावी रास्ता क्यों माना जाए?

क्या प्रशासन भीड़ देखकर निर्णय करेगा?– यह सवाल प्रशासन से भी पूछा जाना चाहिए, अगर किसी कार्यालय का घेराव होता है और उसके बाद प्रशासन कार्रवाई करता है, तो क्या वह कार्रवाई जांच के रिकॉर्ड पर आधारित होगी या आंदोलन के दबाव पर? किसी भी अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्णय भीड़ के आकार से नहीं, दस्तावेज और साक्ष्य से हो, आज अगर 500 लोग किसी गिरफ्तारी की मांग करते हैं और प्रशासन गिरफ्तार कर लेता है, तो कल 5 लोग किसी निर्दोष की गिरफ्तारी की मांग करें तो क्या होगा? कानून संख्या नहीं देखता, कानून साक्ष्य देखता है।

संविधान की बात करने वालों के सामने भी आज बड़ी परीक्षा है–संविधान केवल अधिकार मांगने का दस्तावेज नहीं है,संविधान यह भी सिखाता है कि अधिकारों के साथ संस्थाओं पर विश्वास रखा जाए,अगर हम संविधान की बात करते हैं तो हमें न्यायपालिका की भूमिका भी स्वीकार करनी होगी,अगर हम डॉ. अंबेडकर के विचारों की बात करते हैं तो हमें यह भी समझना होगा कि संवैधानिक रास्ते और कानून का शासन केवल भाषण का विषय नहीं, व्यवहार क ा विषय है, संविधान की रक्षा का अर्थ केवल संविधान की प्रति लेकर सड़क पर खड़ा होना नहीं है,संविधान की रक्षा तब होती है जब हम उसके द्वारा बनाई गई न्याय प्रक्रिया पर भी भरोसा करते हैं।

आज का असली सवाल:क्या हम अदालत से पहले फैसला चाहते हैं?-

यही इस पूरे मामले का सबसे कठोर सवाल है की अगर आज की रैली का उद्देश्य है निष्पक्ष जांच करो तो यह लोकतांत्रिक मांग है, अगर उद्देश्य है की सभी साक्ष्यों की जांच करो तो यह जायज मांग है,अगर उद्देश्य है की जिसकी भूमिका सिद्ध हो,उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करो तो यह भी न्याय की मांग है, लेकिन अगर उद्देश्य यह हो कि अदालत के फैसले से पहले ही आरोपी को दोषी मानो और हमारी भीड़ के दबाव में कार्रवाई करो तो फिर हमें रुककर सोचना होगा कि हम न्याय मांग रहे हैं या न्याय की प्रक्रिया को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहे हैं।

पीड़ित परिवार की पीड़ा वास्तविक हो सकती है, लेकिन न्याय की प्रक्रिया भी वास्तविक है...

एक बच्ची की मौत कोई सामान्य घटना नहीं है,उसके परिवार का दुःख,आक्रोश और न्याय की मांग स्वाभाविक है,अगर परिवार को लगता है कि किसी ने अपराध किया है तो वह चाहता है कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई हो,समाज भी ऐसी मांग कर सकता है,लेकिन पीड़ित के प्रति संवेदना का अर्थ यह नहीं हो सकता कि आरोपी के खिलाफ लगाए गए आरोपों को बिना न्यायिक परीक्षण के सत्य मान लिया जाए, पीड़ित को न्याय चाहिए...और न्याय का अर्थ है दोषी को सजा,लेकिन दोषी कौन है,यह अदालत तय करेगी, यही वह अंतर है जो आक्रोश और न्याय के बीच खड़ा है।

न्याय की मांग और न्याय का फैसला...दोनों अलग बातें हैं...

यह बात आज बहुत स्पष्ट तरीके से समझने की जरूरत है की न्याय की मांग करना अधिकार है, लेकिन न्याय का फैसला करना अधिकार नहीं,जिम्मेदारी है...और वह जिम्मेदारी कानून ने न्यायालय को दी है,लोग प्रशासन से कह सकते हैं कि जांच तेज हो,कह सकते हैं कि सभी पहलुओं की जांच हो, कह सकते हैं कि किसी अधिकारी की भूमिका भी जांची जाए,कह सकते हैं कि किसी साक्ष्य की अनदेखी न हो,लेकिन यह कहना कि हम सड़क पर खड़े हैं इसलिए हमारी मांग के अनुसार ही कार्रवाई हो ,न्याय की प्रक्रिया को दबाव की राजनीति में बदल सकता है।

क्योंकि कल यही भीड़ आपके खिलाफ भी खड़ी हो सकती है...

यह बात हर उस व्यक्ति को समझनी होगी जो आज सड़क पर किसी और के खिलाफ खड़ा है, कानून का शासन इसलिए जरूरी है क्योंकि वह बहुमत के गुस्से से व्यक्ति की रक्षा करता है, आज भीड़ आपके पक्ष में है,कल वही भीड़ किसी और पक्ष में हो सकती है, आज आप किसी को दोषी मान रहे हैं,कल कोई दूसरा समूह आपको दोषी मान सकता है,इसलिए न्यायालय की जरूरत है,न्यायालय भीड़ से ऊपर इसलिए है क्योंकि न्यायालय को संख्या नहीं, साक्ष्य देखना होता है।

आज फैसला सड़क पर नहीं,अदालत में होना चाहिए

आईसी मार्ट प्रकरण में एक आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, मामला पुलिस के पास है,मामला न्यायालय के सामने है,हाईकोर्ट ने पुलिस जांच से जुड़े सवालों पर जवाब मांगे हैं,अगली सुनवाई की तारीख तय है, ऐसे में आज सड़क पर आक्रोश व्यक्त करने वालों से एक सवाल पूछा जाना चाहिए की आपको न्याय चाहिए या अपनी पसंद का फैसला? अगर न्याय चाहिए तो अदालत को अपना काम करने दीजिए, अगर जांच पर संदेह है तो अदालत के सामने वह संदेह रखिए,अगर पुलिस की कार्रवाई गलत है तो न्यायिक हस्तक्षेप मांगिए,अगर कोई नया साक्ष्य है तो प्रस्तुत कीजिए, लेकिन दोष सिद्ध होने से पहले किसी को दोषी मानना और भीड़ के दबाव में प्रशासन से फैसला करवाना न्याय नहीं हो सकता।

न्याय में जल्दबाजी नहीं,न्याय में प्रमाण चाहिए...

आईसी मार्ट प्रकरण में न्याय होना चाहिए,निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिसकी भूमिका अपराध में सिद्ध हो, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए,और यदि किसी पर लगाए गए आरोप सिद्ध नहीं होते,तो उसे भी कानून का संरक्षण मिलना चाहिए,यही न्याय है,आज की रैली, धरना और विरोध को इसी कसौटी पर देखा जाना चाहिए,लोकतंत्र में आवाज दबनी नहीं चाहिए, लेकिन आवाज को फैसला भी नहीं बनना चाहिए,क्योंकि एफआईआर आरोप की शुरुआत है,गिरफ्तारी जांच का हिस्सा है,मुकदमा न्यायिक प्रक्रिया है और दोषसिद्धि न्यायालय का निर्णय,और आईसी मार्ट प्रकरण में अभी यह अंतिम चरण आया ही नहीं है,तो फिर सवाल आज भी वही है जब मामला न्यायालय में पहुंच चुका है,एक आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और दोष सिद्ध होना अभी बाकी है,तो फिर न्याय सड़क पर कैसे मिलेगा? न्याय मांगिए, जांच मांगिए,जवाबदेही मांगिए...लेकिन फैसला अदालत को करने दीजिए। क्योंकि अगर सड़क ही फैसला करने लगेगी,तो फिर न्यायालय किस लिए रहेगा?

सदस्यता सत्यापन में कोयला मजदूर सभा ने मारी बाजी...1111 मतों के साथ प्रथम स्थान

35.2 प्रतिशत सदस्यता के साथ KMS को मिला श्रमिकों का समर्थन,BMS दूसरे और AITUC तीसरे स्थान पर

-संवाददाता-

बैकुंठपुर,27 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

एसईसीएल बैकुंठपुर क्षेत्र में वर्ष 2026 के सदस्यता सत्यापन के परिणाम सामने आने के बाद श्रमिक संगठनों में हलचल तेज हो गई है,जारी आंकड़ों के अनुसार कोयला मजदूर सभा,हिंद मजदूर सभा ने सदस्यता सत्यापन में सर्वाधिक मत प्राप्त करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया है,संगठन को कुल 1111 मत,यानी लगभग 35.2 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। सदस्यता सत्यापन में विभिन्न श्रमिक संगठनों के बीच हुए मुकाबले में BMS को 930 मत (29.5 प्रतिशत) प्राप्त हुए और वह दूसरे स्थान पर रहा,वहीं AITUC को 440 मत (13.9 प्रतिशत) तथा INTUC को 385 मत (12.2 प्रतिशत) प्राप्त हुए, NOTA के पक्ष में 286 मत (9.1 प्रतिशत) दर्ज किए गए,कुल मतों की संख्या 3152 रही।

35 प्रतिशत से अधिक मत के साथ KMS सबसे आगे–सदस्यता सत्यापन के आंकड़ों पर नजर डालें तो KMS ने कुल मतों में 35 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी हासिल की है, दूसरे स्थान पर रहे BMS और KMS के बीच 181 मतों का अंतर रहा,वहीं अन्य संगठनों के मुकाबले भी KMS को अधिक समर्थन मिला,यह परिणाम बैकुंठपुर क्षेत्र में सक्रिय श्रमिक संगठनों की सदस्यता स्थिति का महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है,हालांकि सदस्यता सत्यापन के आंकड़े किसी संगठन के प्रति श्रमिकों के समर्थन की एक निर्धारित अवधि की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर इन परिणामों का महत्व माना जाता है।

संगठन ने श्रमिक साथियों का जताया आभार–परिणाम सामने आने के बाद कोयला मजदूर सभा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया,संगठन की ओर से सदस्यता सत्यापन में समर्थन देने वाले सभी श्रमिक साथियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया,संगठन ने कहा कि यह उपलब्धि किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि संगठन से जुड़े सभी श्रमिक साथियों की सामूहिक भागीदारी और विश्वास का परिणाम है। संगठन की ओर से श्रमिक हितों से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता के साथ उठाने तथा भविष्य में भी श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए सक्रिय भूमिका निभाने की बात कही गई।

योगेंद्र कुमार मिश्र ने दी बधाई–कोयला मजदूर सभा के महामंत्री योगेंद्र कुमार मिश्र ने सदस्यता सत्यापन के परिणाम पर संगठन से जुड़े सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और श्रमिक साथियों को बधाई दी,उन्होंने कहा कि सदस्यों ने संगठन पर जो विश्वास जताया है,वह संगठन के लिए जिम्मेदारी को और बढ़ाता है,उन्होंने श्रमिक हितों,सुरक्षित कार्य वातावरण,रोजगार से जुड़े विषयों तथा श्रमिकों के अधिकारों के लिए लगातार काम करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

3152 मतों ने तय की तस्वीर–बैकुंठपुर क्षेत्र में हुए सदस्यता सत्यापन में कुल 3152 मत पड़े,इनमें KMS को 1111, BMS को 930, AITUC को 440 और INTUC को 385 मत मिले, वहीं 286 मत NOTA के खाते में गए। सदस्यता सत्यापन के परिणाम के बाद अब श्रमिक संगठनों के बीच संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर भी सक्रियता बढ़ने की संभावना है,वहीं कोयला मजदूर सभा के लिए यह परिणाम संगठन के आगामी कार्यक्रमों और श्रमिक मुद्दों पर उसकी भूमिका को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

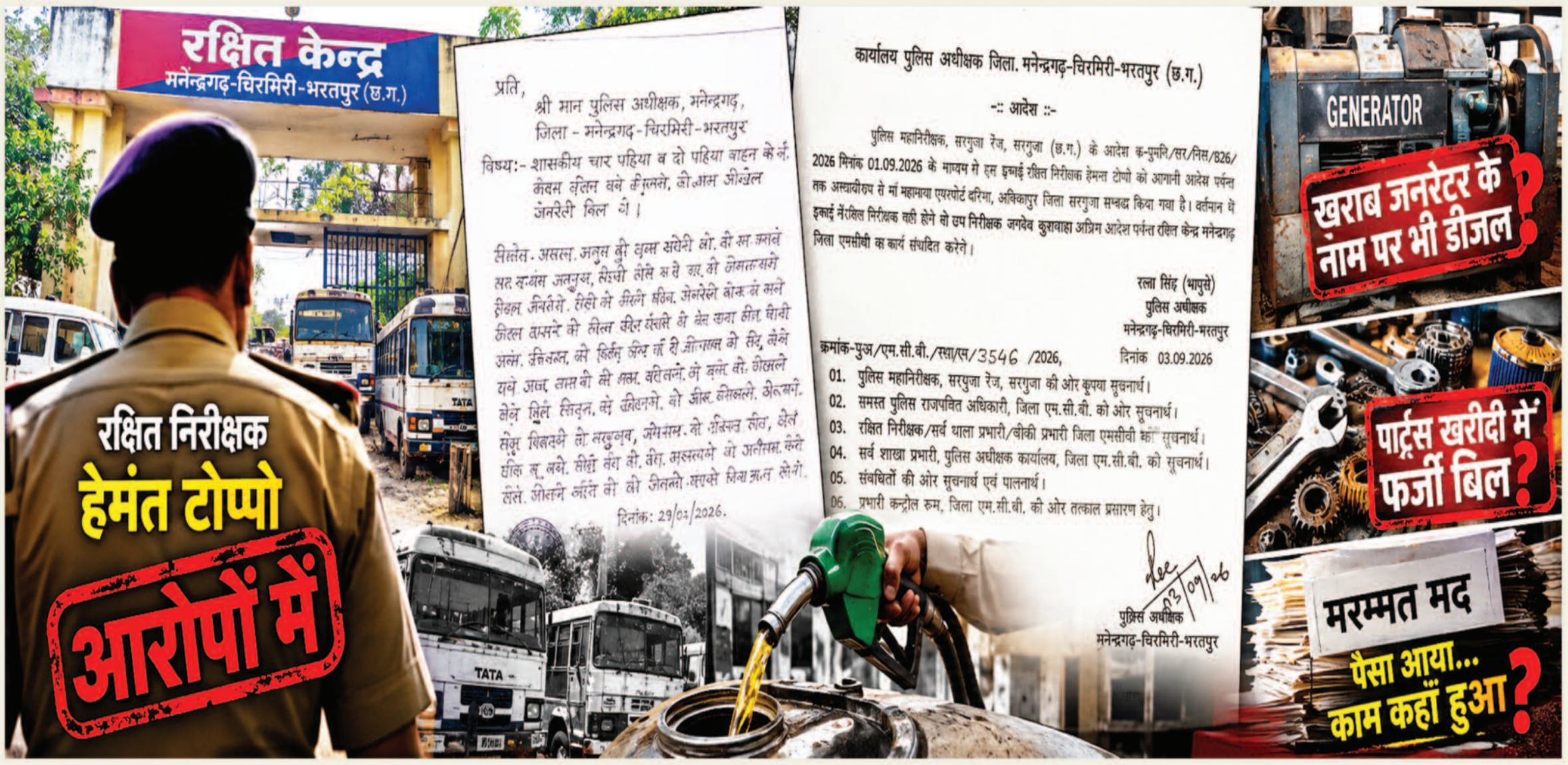

रक्षित केंद्र में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप,अपने ही प्रधान आरक्षक ने खोली विभाग की पोल

रक्षित केंद्र में सरकारी धन के हिसाब पर उठे सवाल,अपने ही प्रधान आरक्षक ने खोली विभाग की पोल...

- **कंडम बसों के नाम पर डीजल,खराब जनरेटरों के लिए ईंधन,मरम्मत मद और वाहन पार्ट्स की खरीदी में कथित गड़बड़ी की शिकायत...**
- **रक्षित केंद्र में वित्तीय गड़बड़ी के आरोप,अपने ही प्रधान आरक्षक ने खोली विभाग की पोल...**
- **डीजल निकला,मरम्मत का पैसा आया,पार्ट्स भी खरीदे गए...फिर हिसाब कहां गया?**
- **रक्षित केंद्र में डीजल से पार्ट्स तक सवालों के घेरे में,अपने ही आरक्षक की शिकायत से खुला मामला**
- **पुलिस के रक्षित केंद्र में 'सरकारी खर्च' का खेल? प्रधान आरक्षक ने उठाए गंभीर सवाल...**
- **रक्षित निरीक्षक पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप,शिकायत के बाद बदली गई जिम्मेदारी...**
- **29 जनवरी की शिकायत से सितंबर के आदेश तक...रक्षित केंद्र के मामले में कई सवाल...**
- **डीजल,मरम्मत और पार्ट्स की खरीदी पर शिकायत,रक्षित निरीक्षक हेमंत टोप्पो दरिमा संबद्ध**
- **शिकायत हुई,जांच पहुंची आईजी तक,अधिकारी बदले स्थान पर...वित्तीय जवाबदेही अब भी सवाल**
- **शिकायत आईजी स्तर तक पहुंची,अब सामने आया 1 सितंबर का आदेश–रक्षित निरीक्षक हेमंत टोप्पो को दरिमा एयरपोर्ट किया गया संबद्ध,रक्षित केंद्र का प्रभार उप निरीक्षक जगदेव कुशवाहा को...**

-रवि सिंह-

मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर,27 सितम्बर 2026 (घटती-घटना)।

पुलिस विभाग को आमतौर पर अनुशासन, कानून-व्यवस्था और भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई से जोड़कर देखा जाता है,लेकिन पुलिस विभाग की अपनी आंतरिक व्यवस्था में यदि सरकारी धन के उपयोग,डीजल की खपत,वाहनों की मरम्मत, जनरेटर और पार्ट्स खरीदी को लेकर गंभीर शिकायत सामने आए और शिकायतकर्ता कोई बाहरी व्यक्ति नहीं,बल्कि पुलिस विभाग का ही प्रधान आरक्षक हो, तो मामला विभागीय पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले के रक्षित केंद्र से जुड़ा मामला इसी वजह से चर्चा में है, 29 जनवरी 2026 को पुलिस विभाग के एक प्रधान आरक्षक ने तत्कालीन रक्षित निरीक्षक हेमंत टोप्पो के विरुद्ध कई गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की शिकायत की,शिकायत में कंडम बसों के नाम पर डीजल निकाले जाने,खराब जनरेटरों के नाम पर ईंधन निकासी,थानों में मरम्मत के लिए आई राशि के उपयोग तथा वाहनों के पार्ट्स की खरीदी में कथित फर्जी बिल लगाए जाने सहित कई बिंदु उठाए गए थे,मूल शिकायत में इन आरोपों की जांच कर कार्रवाई की मांग की गई थी, अब इसी मामले से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण प्रशासनिक दस्तावेज सामने आया है,जिसमे पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर के आदेश के अनुसार 1 सितंबर 2026 से रक्षित निरीक्षक हेमंत टोप्पो को आगामी आदेश तक मां महामाया एयरपोर्ट, दरिमा,अंबिकापुर,जिला सरगुजा में अस्थायी रूप से संबद्ध किया गया है,आदेश में यह भी दर्ज है कि रक्षित निरीक्षक के पद पर अधिकारी उपलब्ध नहीं होने के कारण उप निरीक्षक जगदेव कुशवाहा आगामी आदेश तक रक्षित केंद्र मनेन्द्रगढ़ का कार्य संपादित करेंगे, यही घटनाक्रम अब कई सवाल खड़े कर रहा है...29 जनवरी की शिकायत पर जांच में क्या निकला? यदि वित्तीय अनियमितताएं प्रमाणित हुईं तो उसके बाद क्या कार्रवाई हुई? और यदि आरोप प्रमाणित नहीं हुए तो शिकायत के निष्कर्ष को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया?

कंडम वाहन के नाम पर डीजल...रिकॉर्ड बताएगा सच-पूरे प्रकरण में डीजल का मुद्दा सबसे आसानी से दस्तावेजों से जांचा जा सकता है,किस वाहन के नाम पर कितना डीजल जारी हुआ? वाहन उस समय चलने की स्थिति में था या नहीं? वाहन की लॉगबुक में कितने किलोमीटर दर्ज हैं? डीजल निर्गमन रजिस्टर में कितनी मात्रा दर्ज है? वाहन किस अधिकारी या कर्मचारी के सुपुर्द था? यदि वाहन कंडम अथवा अनुपयोगी था तो उस अवधि में ईंधन की खपत कैसे दर्ज हुई? इन सवालों के जवाब डीजल रजिस्टर,वाहन लॉगबुक, स्टॉक रजिस्टर और संबंधित अनुमति पत्रों के मिलान से सामने आ सकते हैं,इसलिए इस मामले में किसी भी आरोप को अंतिम सत्य मानने के बजाय सबसे जरूरी है कि संबंधित मूल रिकॉर्ड का स्वतंत्र मिलान किया जाए।

खराब जनरेटरों के लिए डीजल की निकासी पर भी सवाल-शिकायत में कुछ थानों के खराब जनरेटरों के नाम पर डीजल निकाले जाने का आरोप भी लगाया गया था,यह आरोप भी रिकॉर्ड से आसानी से जांचा जा सकता है,यदि किसी थाने का जनरेटर खराब था और लंबे समय तक उसका संचालन नहीं हुआ,तो उस अवधि में उसके नाम पर जारी डीजल की मात्रा क्या थी? क्या जनरेटर लॉगबुक में उसका संचालन दर्ज था? क्या डीजल का वास्तविक उपयोग हुआ? यदि रिकॉर्ड में खपत दिखाई गई है लेकिन जनरेटर का संचालन ही नहीं हुआ,तो यह विभागीय जांच का महत्वपूर्ण बिंदु बन सकता है।

मरम्मत का पैसा आया, लेकिन मरम्मत हुई या कागजों पर?-शिकायत में थानों में मरम्मत के लिए उपलब्ध कराई गई राशि को लेकर भी सवाल उठाए गए,सरकारी व्यवस्था में किसी वाहन,भवन,जनरेटर या अन्य उपकरण की मरम्मत के लिए राशि जारी होने के बाद सामान्यतः उसके खर्च का रिकॉर्ड,बिल-वाउचर और कार्य पूर्ण होने से जुड़े दस्तावेज होते हैं,ऐसे में सवाल है कि जिन थानों के लिए राशि जारी हुई क्या वास्तव में मरम्मत हुई? किस ठेकेदार या फर्म ने काम किया? कितनी राशि खर्च हुई? भुगतान किसे किया गया? काम का सत्यापन किसने किया? यदि शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच हुई है तो इन बिंदुओं का परीक्षण भी आवश्यक रहा होगा।

पार्ट्स खरीदी और फर्जी बिल का आरोप-वाहनों के पार्ट्स की खरीदी से जुड़ा आरोप भी कम गंभीर नहीं है, यदि किसी वाहन के लिए कोई पार्ट खरीदा गया तो उसकी खरीद का बिल होना चाहिए, लेकिन उससे आगे यह भी जरूरी है कि वह पार्ट वास्तव में प्राप्त हुआ या नहीं और संबंधित वाहन में लगाया गया या नहीं, इसलिए जांच में बिल,स्टॉक रजिस्टर,वाहन मरम्मत रजिस्टर,पुराने पार्ट्स और भुगतान रिकॉर्ड का मिलान महत्वपूर्ण हो जाता है,शिकायत में कथित फर्जी बिल का मुद्दा उठाया गया था,इसलिए यदि जांच में इस बिंदु को भी देखा गया है तो विभागीय रिपोर्ट में इसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

मामला आईजी स्तर तक पहुंचा-शिकायतकर्ता ने मामले को वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष रखा और मामला आईजी स्तर तक पहुंचने की बात सामने आई, इसी दौरान विभागीय स्तर पर जांच होने की जानकारी भी सामने आई, विभागीय सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि शिकायत में लगाए गए कुछ वित्तीय आरोप जांच में प्रमाणित पाए गए,हालांकि इस दावे की निर्णायक पुष्टि के लिए विभागीय जांच रिपोर्ट या सक्षम अधिकारी के अंतिम आदेश का सार्वजनिक होना जरूरी है,यही वह बिंदु है जहां पूरा मामला प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर जवाबदेही का प्रश्न बन जाता है,यदि जांच में आरोप प्रमाणित हुए तो विभागीय नियमों के अनुसार क्या दंडात्मक कार्रवाई की गई? यदि आरोप प्रमाणित नहीं हुए तो क्या शिकायतकर्ता को जांच के निष्कर्ष से अवगत कराया गया? इन सवालों का स्पष्ट जवाब सामने आना अभी बाकी है।

शिकायत में सिर्फ एक आरोप नहीं,कई वित्तीय बिंदु उठाए गए...

29 जनवरी 2026 की शिकायत को देखा जाए तो इसमें किसी एक बिल या एक वाहन को लेकर सवाल नहीं उठाया गया था। शिकायतकर्ता ने रक्षित केंद्र की कार्यप्रणाली से जुड़े कई वित्तीय और प्रशासनिक बिंदुओं को एक साथ उठाया था,शिकायत में आरोप लगाया गया कि कंडम बसों के नाम पर डीजल निकाला गया,जबकि ऐसी बसों के संचालन को लेकर सवाल थे। इसी तरह कुछ थानों में खराब पड़े जनरेटरों के नाम पर डीजल निकालने का आरोप भी लगाया गया,इसके अलावा शिकायतकर्ता ने थानों में मरम्मत के नाम पर आई राशि के वास्तविक उपयोग पर सवाल उठाया,आरोप यह था कि जिन कार्यों के लिए राशि उपलब्ध कराई गई,वहां उसका वास्तविक उपयोग नहीं हुआ,वाहनों के पार्ट्स की खरीदी और कथित फर्जी बिलों का मुद्दा भी शिकायत में शामिल था,यदि इन आरोपों की जांच की गई है तो प्रत्येक बिंदु का उत्तर विभागीय दस्तावेजों में मौजूद होना चाहिए।

सितंबर में आया आदेश हेमंत टोप्पो दरिमा एयरपोर्ट संबद्ध

इस मामले में अब सामने आया प्रशासनिक आदेश घटनाक्रम की एक महत्वपूर्ण कड़ी है,1 सितंबर 2026 के आदेश के अनुसार रक्षित निरीक्षक हेमंत टोप्पो को आगामी आदेश तक मां महामाया एयरपोर्ट दरिमा,अंबिकापुर,जिला सरगुजा में अस्थायी रूप से संबद्ध किया गया,आदेश में यह भी कहा गया है कि वर्तमान में इकाई में रक्षित निरीक्षक नहीं होने के कारण उप निरीक्षक जगदेव कुशवाहा आगामी आदेश तक रक्षित केंद्र मनेन्द्रगढ़ का कार्य संपादित करेंगे,आदेश 3 सितंबर 2026 को पुलिस अधीक्षक, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर कार्यालय से जारी हुआ दिखाई देता है, हालांकि एक महत्वपूर्ण तथ्य को स्पष्ट रखना जरूरी है...यह आदेश स्वयं वित्तीय अनियमितता सिद्ध होने या दंडात्मक कार्रवाई किए जाने का उल्लेख नहीं करता,इसमें प्रशासनिक रूप से अस्थायी संबद्धता और कार्य व्यवस्था का उल्लेख है,इसलिए इसे शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के रूप में सीधे प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा।

लेकिन सवाल यहीं से और बड़ा हो जाता है...

यदि यह केवल प्रशासनिक स्थानांतरण अथवा संबद्धता थी, तो विभाग को यह स्पष्ट करने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि इसका शिकायत से कोई संबंध था या नहीं,और यदि शिकायत की विभागीय जांच के बाद यह प्रशासनिक निर्णय लिया गया, तो जांच के निष्कर्ष को सार्वजनिक करने की आवश्यकता और बढ़ जाती है,क्योंकि स्थानांतरण और वित्तीय जवाबदेही दो अलग-अलग विषय हैं,किसी अधिकारी का स्थान बदलने से यह तय नहीं होता कि सरकारी धन के उपयोग में कोई अनियमितता हुई या नहीं,इसके लिए जांच रिपोर्ट,जिम्मेदारी निर्धारण और यदि आवश्यक हो तो विभागीय कार्रवाई अलग प्रक्रिया है।

पुलिस विभाग में रक्षित केंद्र की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण

रक्षित केंद्र आम जनता के लिए पुलिस थाने जितना प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला कार्यालय नहीं है,लेकिन पुलिस विभाग की आंतरिक व्यवस्था में इसका महत्व कम नहीं है,वाहनों की उपलब्धता, रखरखाव,ईंधन, मरम्मत और संसाधनों से संबंधित काम रक्षित केंद्र की कार्यप्रणाली से जुड़े होते हैं,इसलिए यहां वित्तीय अनुशासन का महत्व और बढ़ जाता है,जहां डीजल जारी होता है,वहां खपत का हिसाब होना चाहिए,जहां वाहन चलता है, वहां लॉगबुक होनी चाहिए,जहां जनरेटर चलता है,वहां संचालन का रिकॉर्ड होना चाहिए,जहां मरम्मत के लिए पैसा मिलता है,वहां वास्तविक काम होना चाहिए,जहां पार्ट्स खरीदे जाते हैं,वहां खरीदी और उपयोग दोनों का रिकॉर्ड होना चाहिए,यही दस्तावेज किसी भी वित्तीय शिकायत की वास्तविकता सामने ला सकते हैं।

अपने ही विभाग के खिलाफ आवाज उठाने वाला कर्मचारी...मामले का अहम चेहरा...

इस पूरे मामले का सबसे अलग पहलू शिकायतकर्ता है, आम तौर पर विभाग के भीतर काम करने वाला कर्मचारी अपने ही वरिष्ठ अधिकारी के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की शिकायत करने से बचता है,लेकिन इस मामले में एक प्रधान आरक्षक ने 29 जनवरी को शिकायत देकर विभागीय व्यवस्था पर सवाल उठाए, शिकायत की प्रति में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को संबोधित करते हुए जांच और कार्रवाई की मांग की गई है,यदि जांच में शिकायत के आरोप सही पाए जाते हैं तो यह शिकायत विभागीय वित्तीय नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण इनपुट साबित हो सकती है, वहीं यदि आरोप सही नहीं पाए गए तो जांच के निष्कर्ष से शिकायतकर्ता और संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट रूप से अवगत कराया जाना चाहिए,शिकायत करने वाले कर्मचारी को प्रताड़ित करने के बजाय शिकायत की निष्पक्ष जांच होना ही संस्थागत जवाबदेही का आधार है।

यह मामला सिर्फ हेमंत टोप्पो का नहीं,पूरी व्यवस्था की परीक्षा

इस प्रकरण को केवल एक अधिकारी के खिलाफ शिकायत मानकर खत्म कर देना पर्याप्त नहीं होगा,असल सवाल यह है कि यदि किसी रक्षित केंद्र में डीजल,मरम्मत, पार्ट्स और अन्य वित्तीय मदों में अनियमितता की शिकायत आती है तो उसकी निगरानी व्यवस्था क्या है? क्या नियमित रूप से डीजल स्टॉक का भौतिक सत्यापन होता है? वाहनों की लॉगबुक का ऑडिट होता है? कंडम वाहनों के रिकॉर्ड और ईंधन निर्गमन का मिलान होता है? जनरेटरों के संचालन और डीजल खपत का मिलान किया जाता है? पार्ट्स खरीदी का भौतिक सत्यापन होता है? मरम्मत के बाद कार्य का सत्यापन किया जाता है? भुगतान से पहले बिल और वास्तविक सामग्री का मिलान होता है? यदि ये व्यवस्थाएं मजबूत हैं तो किसी भी कथित वित्तीय गड़बड़ी का पता समय रहते चल जाना चाहिए।

अब विभाग से इन सवालों का जवाब अपेक्षित,पूरे मामले में पुलिस विभाग के सामने अब कुछ सीधे सवाल हैं...

1. 29 जनवरी 2026 की शिकायत पर विभागीय जांच किस अधिकारी/समिति ने की?
2. जांच में शिकायत के कौन-कौन से आरोप सही और कौन से गलत पाए गए?
3. यदि कोई वित्तीय अनियमितता प्रमाणित हुई तो उसकी राशि कितनी थी?
4. क्या सरकारी राशि की वसूली की गई?
5. क्या संबंधित अधिकारी की विभागीय जिम्मेदारी तय की गई?
6. क्या कोई दंडात्मक कार्रवाई की गई?
7. 1 सितंबर 2026 का दरिमा एयरपोर्ट संबद्धता आदेश शिकायत से संबंधित था या यह सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था थी?
8. यदि यह शिकायत से संबंधित था तो जांच रिपोर्ट का निष्कर्ष क्या रहा?
9. शिकायतकर्ता प्रधान आरक्षक के आरोपों पर विभाग का आधिकारिक पक्ष क्या है? इन सवालों के जवाब सामने आने के बाद ही पूरे प्रकरण की तस्वीर पूरी तरह साफ हो सकेगी।

एक शिकायत ने खोल दिया व्यवस्था का वह हिस्सा, जो आम नजरों से दूर रहता है....

29 जनवरी की शिकायत और सितंबर के प्रशासनिक आदेश को एक साथ देखने पर यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि यह पुलिस विभाग की उस आंतरिक वित्तीय व्यवस्था से जुड़ा है,जो आम जनता की नजरों से अपेक्षाकृत दूर रहती है,शिकायत में गंभीर आरोप हैं,बाद में संबंधित रक्षित निरीक्षक को दूसरे स्थान पर अस्थायी रूप से संबद्ध करने का आदेश भी सामने आया है,लेकिन आरोप,जांच और अंतिम विभागीय निष्कर्ष—इन तीनों को अलग-अलग रखना जरूरी है क्योंकि विभागीय सूत्रों द्वारा जांच में आरोप प्रमाणित होने की बात कही जा रही है,लेकिन जब तक जांच रिपोर्ट या अंतिम अनुशासनात्मक आदेश सार्वजनिक नहीं हुआ, तब तक इसे सूत्रों का दावा ही माना जाना चाहिए,फिर भी एक बात निर्विवाद रूप से महत्वपूर्ण है की पुलिस विभाग के भीतर से उठी वित्तीय अनियमितता की शिकायत को दबाने के बजाय उसके हर बिंदु का दस्तावेजी परीक्षण होना चाहिए, क्योंकि सरकारी धन जनता का धन है और चाहे वह किसी सामान्य सरकारी कार्यालय में खर्च हो या पुलिस के रक्षित केंद्र में....उसका हिसाब सार्वजनिक जवाबदेही के दायरे से बाहर नहीं हो सकता,सबसे बड़ा सवाल अब यही है की शिकायत हुई,जांच हुई,अधिकारी का प्रशासनिक स्थान भी बदला,लेकिन यदि वित्तीय गड़बड़ी प्रमाणित हुई तो सरकारी धन की जिम्मेदारी किस पर तय हुई? यही वह जवाब है,जिसका इंतजार अब इस पूरे प्रकरण में सबसे ज्यादा है।

CMYK

विश्वनाथ एंड संस को देख इमोशनल हुए शिवा राजकुमार

कन्नड़ सुपरस्टार ने किया सूर्या की मूवी का रिव्यू

कन्नड़ सुपरस्टार शिवा राजकुमार ने सूर्या की लेटेस्ट फिल्म विश्वनाथ एंड संस को लेकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। साउथ सिनेमा के सुपरस्टार सूर्या और अभिनेत्री ममिता बैजू की लेटेस्ट फिल्म विश्वनाथ एंड संस ने अपनी शानदार कहानी के दम पर हर किसी का दिल जीता है। थिएटर्स के अलावा ओटीटी पर आने से बाद भी इस मूवी को देखा जा रहा है और हर कोई इसकी चर्चा कर रहा है।हाल ही में कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार शिवा राजकुमार ने भी सूर्या की विश्वनाथ एंड संस की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं और बताया है इस फैमिली ड्रामा फिल्म को देखने के बाद वह काफी भावुक हो गए थे।

शिवा राजकुमार ने किया विश्वनाथ एंड संस का रिव्यू

मौजूदा समय में शिवा राजकुमार अपनी अपकमिंग फिल्म बेल की प्रमोशन में लगे हुए हैं, जो 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी। इस मूवी के प्रचार के मद्देनजर रखते हुए शिवा ने केवीएन प्रोडक्शंस को एक लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है और सूर्या की विश्वनाथ एंड संस को लेकर खुलकर बात की है,उन्होंने कहा है-मैंने हाल ही में विश्वनाथ एंड संस देखी। फिल्म देखने के बाद मैं एक घंटे तक सो नहीं पाया। इसने मुझे मेरे माता-पिता और परिवार की याद दिला दी। मैं लेटे-लेटे इसी बारे में सोच रहा था और मेरी आंखों में आंसू थे। मुझे लगता है कि कुछ भावनाएं मुझ पर भारी हो गई थीं। मेरी भी इच्छा है कि मैं कभी ऐसी फिल्म करूं। इस तरह से पेड्डी फिल्म कलाकार शिवा राजकुमार ने सूर्या की फिल्म विश्वनाथ एंड संस की तारीफ में जमकर कसीदे पढ़े हैं। मालूम हो कि विश्वनाथ एंड संस ने अपने बेहतरीन कहानी के दम पर बॉक्स ऑफिस पर भी शानदार प्रदर्शन किया है। दुनियाभर में फिल्म की कमाई 200 करोड़ के पार रही।

नेटफ्लिक्स पर मौजूद विश्वनाथ एंड संस

सिनेमाघरों के बाद सूर्या की विश्वनाथ एंड संस को ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर ऑनलाइन स्ट्रीम किया गया। ओटीटी पर ये मूवी फिलहाल मस्ट वॉच बनी हुई है। आलम ये है कि इंडिया में नेटफ्लिक्स की टॉप-5 ट्रेंडिंग मूवीज में विश्वनाथ एंड संस का नाम भी शामिल है।

खुश रहने का राज : शिल्पा शेट्टी ने बताया आभार का महत्व

बेंगलुरु के न्यू होराइजन कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग में आयोजित भारत के पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस समिट में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भी बोलने वालों में शामिल थीं। हैप्पी एयर -आत्मन इन रवि (हैप्पीनेस एंबेसडर) द्वारा आयोजित इस समिट में एंटरटेनमेंट, पब्लिक लाइफ़, एंटरप्रेन्योरशिप, आध्यात्मिकता, वेलनेस और

सोशल लीडरशिप से जुड़े लोग शामिल हुए। हमेशा खुश रहने के राज़ के बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस शिल्पा ने कहा,मुझे लगता है कि हम सभी का जीने का अपना तरीका होता है, और मैं बहुत शुक्रगुज़ार महसूस करती हूँ। शुक्रगुज़ारी एक ऐसी चीज़ है जिसका अभ्यास करना पड़ता है। अगर कोई चीज़ आपकी मर्ज़ी के मुताबिक़ न भी हो, तो भी मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि ऐसा नहीं हुआ। खुश होने के कई कारण हैं; जब आपकी सेहत अच्छी हो और परिवार साथ हो, तो खुश होने की हर वजह होती है। जो कुछ भी आपकी जिंदगी में आता है,वह आपकी यात्रा का हिस्सा है। मुझे लगता है कि कभी-कभी हम आत्मा को नज़रअंदाज़ कर देते हैं और सिर्फ़ बाहरी शरीर और नाम पर ध्यान देते हैं। जब मैं लोगों से मिलती हूँ, तो आत्मा के स्तर पर जुड़ती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ आत्मा नमस्ते – यानी मेरी आत्मा आपको नमस्कार कर रही है। मेरा सच में मानना है कि हम सभी का मिलना तय था, और अगर उस मुलाक़ात से हमारे अंदर कुछ बदलाव आता है, तो शायद ऐसा होना पहले से ही तय था।इस समिट में शामिल एक्टर अर्जुन कपूर ने कहा,हम अक्सर खुशी को सफलता, उपलब्धियों और मज़ेदार पलों से जोड़ते हैं, जबकि मन की शांति और ज़िंदगी के गहरे मकसद को नज़रअंदाज़ कर देते हैं। खुशी, शांति और मकसद का एक साथ होना मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरे लिए,खुशी का मतलब है वर्तमान में जीना,खुद को बेहतर ढंग से समझना, अपनी यात्रा की सराहना करना और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के उतार-चढ़ाव से परे कोई मकसद खोजना। इसने मुझे याद दिलाया कि खुशी कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके पीछे मुझे लगातार भागना पड़े;यह कुछ ऐसा है जिसे मैं अपने जीने के तरीके,सोचने के तरीके और खुद से व अपने आस-पास के लोगों से जुड़ने के तरीके से बना सकता हूँ।

ये रिश्ता क्या कहलाता है में कबीर के खिलाफ हुई मायरा

अरमान की बेइज्जती नहीं सह पाएगी अभिरा की बेटी

ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखने को मिलेगा कि कबीर अनजाने में अरमान की बेइज्जती कर देता है। ऐसे में मायरा अपने पिता के लिए प्यार के खिलाफ हो जाएगी। ये रिश्ता क्या कहलाता है के अपकमिंग एपिसोड में भरपूर ड्रामा, इमोशनल उथल-पुथल से लेकर रिश्तों में बड़ा पेर बदल देखने को मिलेगा। इसके चलते पोद्दार हाउस में एक बार फिर से बड़ा धमाका होने वाला है, जिससे कबीर और मायरा के बीच दूरी आ जाएगी। दूसरी ओर, अभिरा-अरमान अपनी बेटी की लव लाइफ को दूसरा मौका देने वाले हैं। कबीर और मायरा की लव स्टोरी में हर दिन नया ड्रामा जुड़ रहा है, जिससे अरमान और अभिरा की जिंदगी और भी मुश्किल होने वाल है। हाल ही में मायरा और कबीर की प्रेम कहानी सामने आने के बाद सभी को बड़ा झटका लगा था।

अभिरा पर आरोप लगाना मायरा को पड़ा भारी

कहानी के मौजूदा ट्रैक के अनुसार मायरा सबके सामने कबीर के लिए अपने प्यार का इजहार करेगी, जिससे अभिरा और पोद्दार परिवार को सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। हालांकि, मायरा यह मानने से इनकार कर देगी कि उसने कुछ गलत किया है और लगातार अपने माता-पिता अरमान-अभिरा के सामने कबीर और उसके साथ अपने रिश्ते का बचाव करते नजर आएगी। गुस्से में आकर मायरा अपनी मां अभिरा पर पक्षपाती होने का आरोप भी लगाते दिखाई देने वाली है। उसकी बातों से अरमान को बहुत गुस्सा आएगा है और वह मायरा को थप्पड़ मार देगा, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाएंगे।हालांकि, थप्पड़ मारने वाली घटना में एक बड़ा मोड़ तब आएगा, जब कबीर को पता चलेगा कि अरमान ने मायरा को थप्पड़ मारा है तो वह गुस्से में उससे सवाल करेगा। कबीर पूछेगा कि अरमान ने मायरा पर हाथ कैसे उठाया और उसे चेतावनी देगा कि वह ऐसी हरकत दोबारा न करे, वरना उसे इसकी भरपाई करनी पड़ सकती है।

स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला के बीच हुई जुबानी जंग

डूबते राजनीतिक करियर वाले कमेंट पर राइज एंड फॉल 2 में हुआ हंगामा

राइज एंड फॉल सीजन 2 में स्वरा भास्कर और शहजाद पूनावाला ने एक-दूसरे पर तीखे तंज कसे। स्वरा ने शहजाद के राजनीतिक करियर का मजाक उड़ाया, जिसके जवाब में शहजाद ने फहाद अहमद की चुनावी हार पर तंज कसा राइज एंड फॉल सीजन 2 शुरू होते ही चर्चा का विषय बन गया है, जिसमें हर किसी के बीच खतरनाक बहस देखने को मिली। इस बीच शहजाद पूनावाला और स्वरा भास्कर में भी जुबानी जंग हुई। हालांकि, पहले एपिसोड में दोनों के बीच ज्यादा टकराव नहीं दिखा, लेकिन दूसरे एपिसोड में काफी ड्रामा देखने को मिल रहा है। शहजाद और स्वरा एक-दूसरे पर तंज कसते हुए दिखे। शहजाद ने तो बातचीत में स्वरा के पति फहद अहमद का जिक्र भी छेड़ दिया। ऐसे में बातचीत देखते ही देखते बहसबाजी में बदल गई और दोनों ने एक-दूसरे के करियर पर कमेंट भी किया।

स्वरा भास्कर ने शहजाद के राजनीतिक करियर पर तंज कसा

राइज एंड फॉल 2 के हालिया एपिसोड के दौरान होस्ट वीरेंद्र सहवाग ने शहजाद से पूछा कि वह स्वरा से बात क्यों नहीं कर रहे थे। तंज भरे अंदाज में जवाब देते हुए शहजाद ने कहा, मेरी आवाज दबाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। उनकी इस बात पर स्वरा जोर से हंस पड़ीं। इसके बाद शहजाद ने कहा, मैं इग्नोर करता हूं। जब उनके बीच यह नोक-झोंक जारी रही तो स्वरा ने शहजाद से कहा,यह कोई चुनाव नहीं है। फिर उन्होंने शहजाद के राजनीतिक करियर पर तंज कसते हुए कहा,इनका डूबता हुआ राजनीतिक करियर यहां से उज्ज्वल नहीं होने वाला है।

स्वरा भास्कर के तंज पर शहजाद पूनावाला का पलटवार

शहजाद पूनावाला ने तुरंत पलटवार करते हुए स्वरा भास्कर से कहा,मेरे करियर की चिंता मत कीजिए। अपने पति की चिंता कीजिए। हालांकि, स्वरा ने इस उकसावे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और इस बहस को यह कहते हुए टाल दिया,मैं इस तरह की कीचड़-पट्टी में नहीं पड़ना चाहती। बता दें कि इस शो में स्वरा भास्कर से लेकर शहजाद पूनावाला समेत 15 कंटेस्टेंट्स की एंट्री हुई है।

मनीष मल्होत्रा के मिजवान शो में आलिया-विक्की ने बिखेरा जलवा

मुंबई में मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा का मिजवान फैशन शो आयोजित किया गया। इस खास मौके पर आलिया भट्ट और विक्की कौशल ने शोस्टॉपर के रूप में रैंप पर वॉक की। दोनों कलाकारों ने मनीष मल्होत्रा के नए कलेक्शन को पेश किया। इस दौरान फैशन, चिकनकारी और मॉडर्न डिजाइन का खूबसूरत मेल देखने को मिला। मनीष मल्होत्रा ने यह कलेक्शन मिजवान वेलफेयर सोसाइटी के साथ अपने 15 साल के जुड़ाव को समर्पित किया। शो के आखिर में आलिया भट्ट,विक्की कौशल,मनीष मल्होत्रा और अभिनेत्री शबाना आजमी एक साथ मंच पर नजर आए।

रैंप पर आलिया का पल्लू अटका,डिजाइनर ने संभाला

आलिया भट्ट की रैंप वॉक के दौरान एक छोटा सा पल कैमरे में कैद हुआ। चलते समय उन्हें अपना लंबा पल्लू संभालना पड़ा। वीडियो में यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि पल्लू किस वजह से अटका, लेकिन ऐसा लगा कि किसी का पैर गलती से उसके ऊपर आ गया था। हालांकि आलिया ने तुरंत स्थिति संभाल ली और उनका संतुलन नहीं बिगड़ा। उन्होंने बिना घबराए अपनी रैंप वॉक पूरी की। बाद में मनीष मल्होत्रा ने भी उनका पल्लू संभालने में मदद की। यह छोटा सा वाकया शो के दौरान मौजूद लोगों और सोशल मीडिया पर चर्चा का हिस्सा बन गया।

खेल-समाचार

सर्वेश कुशारे ने रचा इतिहास,एशियन गेम्स में खत्म किया 56 साल का सूखा,हाई जंप में जीता सिल्वर मेडल

नई दिल्ली,27 सितम्बर 2026। एशियन गेम्स 2026 में संडे का दिन भारतीय एथलेटिक्स के लिए शानदार रहा। सर्वेश कुशारे ने मेन्स हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। इससे पहले एन्सी सोजन ने महिला लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल अपने नाम किया। भारतीय एथलेटिक्स के लिए एशियन गेम्स 2026 में रविवार का दिन यादगार बन गया। महाराष्ट्र के सर्वेश कुशारे ने मेन्स हाई जंप में सिल्वर मेडल जीतकर लंबे इंतजार को खत्म कर दिया। भारत को 56 साल बाद एशियन गेम्स के मेन्स हाई जंप इवेंट में मेडल मिला है। इससे पहले 1970 बैंकाक एशियन गेम्स में भीम सिंह ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 31 साल के भारतीय एथलीट ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन चीनी ताइपे के फू चाओ-ह्सुआन से मामूली अंतर से पीछे रह गए। 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीत चुके सर्वेश मुकाबले के एक बड़े हिस्से में वह शीर्ष पर चल रहे थे और गोल्ड की मजबूत दावेदारी पेश कर रहे थे। हालांकि, 2.25 मीटर की ऊंचाई पर पहली कोशिश में वह बार पार नहीं कर सके। दूसरी ओर फू चाओ-ह्सुआन ने पहली ही कोशिश में 2.25 मीटर पार कर बढ़त हासिल कर ली।

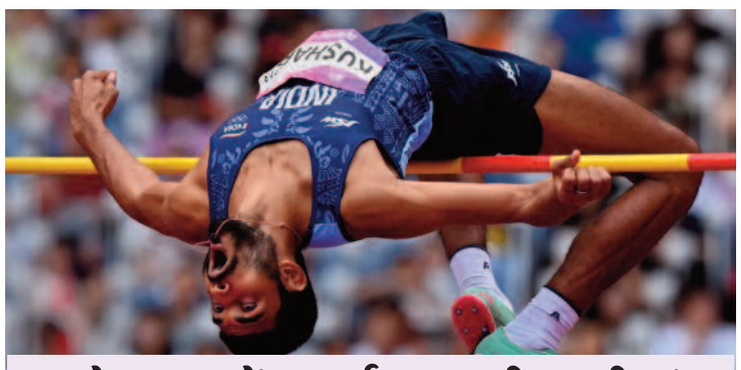

दूसरे प्रयास में लगाई 2.25 मीटर की जंप

सर्वेश ने हार नहीं मानी और अपनी दूसरी कोशिश में 2.25 मीटर की ऊंचाई सफलतापूर्वक पार कर ली। लेकिन तब तक वह दूसरे स्थान पर खिसक चुके थे। इसके बाद वह गोल्ड के लिए चुनौती पेश नहीं कर सके और सिल्वर के साथ उन्हें संतोष करना पड़ा। महाराष्ट्र के देवगांव से आने वाले सर्वेश के लिए यह एशियन गेम्स का पहला मेडल है।सर्वेश से पहले भारत की एन्सी सोजन ने भी रविवार को महिला लॉन्ग जंप में सिल्वर मेडल जीता। एन्सी लंबे समय तक प्रतियोगिता में शीर्ष पर बनी हुई थीं, लेकिन आखिरी प्रयास में चीन की हुआंग यिंगयिंग ने 6.55 मीटर की छलांग लगाकर बाजी पलट दी। एन्सी का सर्वश्रेष्ठ प्रयास 6.53 मीटर रहा। महिला लॉन्ग जंप में भारत की शाइली सिंह भी मेडल की रेस में थीं। वह लंबे समय तक तीसरे स्थान पर बनी रहीं, लेकिन अंतिम प्रयास में चीन की तान मेंगयी ने 6.46 मीटर की छलांग लगाकर उन्हें पीछे कर दिया। शाइली 6.42 मीटर के सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ चौथे स्थान पर रहीं। इस स्पर्धा में चीन ने गोल्ड और ब्रॉन्ज दोनों मेडल अपने नाम किए।

हरिता भद्रा ने जीता ब्रॉन्ज

भारतीय एथलेटिक्स के लिए दिन का एक और मेडल महिलाओं की 200 मीटर दौड़ में आया। हरिता भद्रा ने 23.20 सेकंड का समय निकालकर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। उन्होंने जापान की इदो अबिगेइरुफुका को बेहद करीबी अंतर से पीछे छोड़ा, जिन्होंने 23.21 सेकंड का समय दर्ज किया। सिंगापुर की शांति परेरा ने 22.78 सेकेंड के सीजन के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ गोल्ड जीता, जबकि चीन की चेन युजी ने 22.93 सेकेंड के समय के साथ सिल्वर अपने नाम किया। फाइनल में भारत की दूसरी धाविका उन्नति अयप्पा बोलैंड 23.48 सेकेंड के समय के साथ छठे स्थान पर रहीं।

डेविड मिलर ने मचाई तबाही जोंटी रोड्स का रिकॉर्ड तोड़ा

जोहान्सबर्ग,27 सितम्बर 2026। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए बड़ा स्कोर खड़ा कर दिया। रविवार को खेले गए मुकाबले में कप्तान टेम्बा बावुमा और डेविड मिलर के शानदार शतकों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 365 रन बनाए। इस मुकाबले में बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और कई रिकॉर्ड भी बने।ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था। शुरुआत में उसका फैसला सही साबित होता दिखा,क्योंकि ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने दक्षिण अफ्रीका के शीर्ष क्रम को दबाव में डाल दिया था। एक समय दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 93 रन पर 3 विकेट था और टीम मुश्किल स्थिति में नजर आ रही थी। इसके बाद कप्तान टेम्बा बावुमा और डेविड मिलर ने पारी को संभाला और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ आक्रामक बल्लेबाजी की। दोनों बल्लेबाजों ने चौथे विकेट के लिए 156 रनों की शानदार साझेदारी की और दक्षिण अफ्रीका को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।कप्तान बावुमा ने धैर्य और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण दिखाते हुए 116 गेंदों में 103 रन बनाए। उनकी पारी में 10 चौके और दो छक्के शामिल रहे। वहीं डेविड मिलर ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से मैदान पर शानदार प्रदर्शन किया।मिलर ने सिर्फ 93 गेंदों में 142 रन की तूफानी पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में 12 चौके और नौ छक्के लगाए। उनकी इस पारी ने दक्षिण अफ्रीका के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया और टीम को 365 रन के बड़े स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

कार्यालय तहसीलदार लखनपुर जिला सरगुजा (छ0ग0) ।

ईश्तहार

लखनपुर दि. 17.09.26

प्रति

समस्त ग्रामवासी ग्राम पुहपुटरा
तहसील लखनपुर

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है आवेदक जमुना प्रसाद विश्वकर्मा आ0 स्व0 रामचन्द्र जाति लोहार द्वारा बड़े पिता सहत की मृत्यु दिनांक 05.09.2008 को हो जाने से (जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) एवं छ.ग. जन्म-मृत्यु रिज0नियम 2001 के नियम 9 (3) के तहत मृत्यु प्रमाण हेतू आवेदन इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया है। जिस पर दिनांक 02.10.26 को सुनवाई की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वो न्यायालय मे पेशी दिनांक 02.10.2026 को अपने अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति पेश कर सकते है निर्धारित समय के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नही किया जाएगा ।

आज दिनांक 17.09.26 को मेंरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया ।

सील

**तहसीलदार
लखनपुर
जिला-सरगुजा(छ0ग0)**

कार्यालय तहसीलदार लखनपुर जिला सरगुजा (छ0ग0) ।

ईश्तहार

लखनपुर दि. 09.26

प्रति

समस्त ग्रामवासी ग्राम पुहपुटरा
तहसील लखनपुर

एतद द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है आवेदक रामराज आ0 पदुम साय जाति कंवर द्वारा अपनी माता की मृत्यु दिनांक 10.08.2009 को हो जाने से (जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1969 की धारा 13 (3) एवं छ.ग. जन्म-मृत्यु रिज0नियम 2001 के नियम 9 (3) के तहत मृत्यु प्रमाण हेतू आवेदन इस न्यायालय मे प्रस्तुत किया है। जिस पर दिनांक 02.10.26 को सुनवाई की जानी है।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर जिस किसी को कोई आपत्ति हो तो वो न्यायालय मे पेशी दिनांक 02.10.2026 को अपने अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति पेश कर सकते है निर्धारित समय के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नही किया जाएगा ।

आज दिनांक 17.09.26 को मेरे हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा से जारी किया गया ।

सील

**तहसीलदार
लखनपुर
जिला-सरगुजा(छ0ग0)**

यूक्रेन को हराकर चेक रिपब्लिक ने 12वीं बार जीता बिली जीन किंग कप का खिताब

बोलीविया,27 सितम्बर 2026। कैरोलिना मुचोवा और लिंडा नोस्कोवा की जीत ने चेक रिपब्लिक को 6 साल बाद फिर से बिली जीन किंग कप 2026 का चैंपियन बना दिया। स्टार खिलाड़ियों से सजी चेक रिपब्लिक की टीम ने यूक्रेन को 2-0 से हराकर बिली जीन किंग कप का खिताब अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ चेक रिपब्लिक ने 2018 के बाद पहली बार ट्रॉफी उठाई और अपने खिताबों की संख्या 12 तक पहुंचा दी। भारत में फैंस ने वेटो ओटीटी पर खिताबी मुकाबले का जमकर लुत्फ उठाया। शेनझेन बे स्पोर्ट्स सेंटर एरिना में खेले गए फाइनल में चेक रिपब्लिक की ओर से दुनिया की आठवें नंबर की खिलाड़ी कैरोलिना मुचोवा ने पहला मुकाबला अपने नाम किया। उन्होंने शानदार लय में चल रही यूक्रेन की एन्हेलिना कालिनिना को सीधे सेटों में 6-2, 6-3 से मात देकर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई।इसके बाद दूसरे मुकाबले में सबकी निगाहें एलिना स्वितोलिना और विंबलडन चैंपियन लिंडा नोस्कोवा के बीच होने वाले मुकाबले पर थीं। दोनों खिलाड़ियों के बीच जोरदार टक्कर देखने को मिली, लेकिन नोस्कोवा ने दबाव के बीच संयम बनाए रखा और स्वितोलिना को 6-3, 7-6(5) से हराकर चेकिया को 2-0 की निर्णायक बढ़त दिला दी। इस जीत के साथ चेक रिपब्लिक ने बिली जीन किंग कप के इतिहास में अपनी शानदार पकड़ को और मजबूत किया। टीम ने 13वीं बार फाइनल में जगह बनाई थी और इनमें से 12 मौकों पर उसे खिताबी जीत मिली है।

बारबोरा स्त्रीकोवा बनीं छठी बार चैंपियन

चेक रिपब्लिक की कप्तान बारबोरा स्त्रीकोवा के लिए भी यह जीत बेहद खास रही। वह इससे पहले खिलाड़ी के तौर पर 6 बार बिली जीन किंग कप जीत चुकी हैं। 2018 में अमेरिका को हराकर खिताब जीतने वाली चेक टीम का भी वह हिस्सा थीं। अब कप्तान के रूप में पहली ही फाइनल्स में ट्रॉफी जीतकर उन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल की है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सुनी 'मन की बात' की 138 वीं कड़ी

नक्सलवाद से प्रभावित रहे क्षेत्रों में शांति के साथ खुल रहे विकास और समृद्धि के नए द्वार : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय

रायपुर,27 सितम्बर 2026। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कांकेर जिले के अंतागढ़ विकासखंड के ग्राम लामकन्हार स्थित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' की 138वीं कड़ी का श्रवण किया। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के 'हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा' अभियान का उल्लेख किए जाने पर मुख्यमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे पूरे प्रदेश के लिए गौरव का विषय बताया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अलग-अलग हिस्सों में जनभागीदारी से हो रहे सकारात्मक बदलावों और नवाचारों को 'मन की बात' के माध्यम से राष्ट्रीय मंच प्रदान करते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रयासों का उनके द्वारा लगातार उल्लेख किया जाना प्रदेशवासियों के परिश्रम और सहभागिता का सम्मान है। इससे हमारे स्थानीय प्रयासों को नई पहचान मिलने के साथ ही बेहतर कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा' अभियान कुपोषण के विरुद्ध छत्तीसगढ़ की लड़ाई को जनभागीदारी से और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। मुनगा सहज उपलब्ध होने के साथ पोषण का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसके पत्ते, फल और फूल भोजन में उपयोग किए जाते हैं तथा इनमें आयरन सहित अनेक पोषक तत्व पाए जाते हैं। उन्होंने उपस्थित ग्रामीणों और विद्यार्थियों से अपने घरों में मुनगा का पौधा लगाने तथा इसके पोषण संबंधी लाभों के प्रति अन्य लोगों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' की 138वीं कड़ी में आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ नीति,

छत्तीसगढ़ के नवाचारों की 'मन की बात' में लगातार हो रही चर्चा

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह प्रदेश के लिए गौरव का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'मन की बात' में छत्तीसगढ़ के जनभागीदारी आधारित प्रयासों और नवाचारों को लगातार स्थान दे रहे हैं। इससे पहले बस्तर पंडुम, बस्तर ओलंपिक, मल्हार में प्राप्त ऐतिहासिक ताम्रपत्र और कोरिया जिले के '5 प्रतिशत जल संचय मॉडल' जैसे प्रयासों की प्रधानमंत्री द्वारा सराहना की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरिया जिले का '5 प्रतिशत जल संचय मॉडल' स्थानीय आवश्यकता और जनभागीदारी से निकला एक प्रभावी समाधान है। इसके अंतर्गत किसान अपने खेत के पांच प्रतिशत हिस्से में जल संचयन की व्यवस्था करते हैं। इससे आवश्यकता के समय फसलों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध होता है और भूजल स्तर बढ़ाने में भी सहायता मिलती है। ऐसे नवाचार बताते हैं कि स्थानीय स्तर पर जनभागीदारी से किए गए छोटे-छोटे प्रयास भी व्यापक बदलाव का आधार बन सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी 'मन की बात' में ऐसे कार्यों को देश के सामने लाकर उनसे जुड़े लोगों का उत्साहवर्धन करते हैं। साथ ही देश के अन्य क्षेत्रों के लोगों को भी अपने गांव, शहर और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए आगे आने की प्रेरणा मिलती है।

नक्सलवाद के प्रभाव से निकलकर विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा क्षेत्र

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि बस्तर के साथ कांकेर का यह क्षेत्र भी लंबे समय तक नक्सलवाद से प्रभावित रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व,केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति, सुरक्षा बलों के जवानों के अदम्य साहस और स्थानीय जनता के सहयोग से छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्ति की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में कभी भय और असुरक्षा का वातावरण था,वहां अब शांति,विश्वास और विकास की नई तस्वीर दिखाई दे रही है। शांति और सुरक्षा का वातावरण मजबूत होने के साथ दूरस्थ अंचलों में विकास के नए अवसर भी निर्मित हो रहे हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि बस्तर अंचल दशकों तक विकास की मुख्यधारा से अपेक्षाकृत दूर रहा,लेकिन अब सरकार का संकल्प है कि विकास का लाभ अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल,संचार,रोजगार और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार तेजी से किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार से छत्तीसगढ़ को निरंतर सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ क्षेत्र में शांति के साथ समृद्धि और विकास को गति देने में जुटी है।

जनगणना में नागरिकों की भागीदारी, सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्ति, खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन तथा 'वोकल फॉर लोकल' सहित विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर देशवासियों से संवाद किया। प्रधानमंत्री ने सितंबर माह को कुपोषण के विरुद्ध लड़ाई को समर्पित पोषण माह के रूप में रेखांकित करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में पोषण को लेकर किए जा रहे प्रयासों का उल्लेख किया। इसी क्रम में उन्होंने छत्तीसगढ़ में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित 'हर घर मुनगा-घर-घर मुनगा' अभियान की चर्चा की। इस अभियान के माध्यम से लोगों को पौष्टिक मुनगा अर्थात मोरिंगा को दैनिक खान-पान का हिस्सा बनाने और इसके पौधे लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

लामकन्हार के विकास के लिए 85 लाख रुपए की सौगात : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस अवसर पर ग्राम लामकन्हार में शिक्षा, अधोसंरचना और सामुदायिक सुविधाओं के विस्तार के लिए कुल 85 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने लामकन्हार में शीतला मंदिर के पास सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपए, प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला भवन निर्माण के लिए 37 लाख रुपए, छोटे पारा में सीसी रोड निर्माण के लिए 18 लाख रुपए तथा एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय लामकन्हार में पुस्तकालय एवं प्रयोगशाला के लिए 15 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ और जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा तथा बुनियादी अधोसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। बच्चों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। लामकन्हार में घोषित इन विकास कार्यों से ग्रामीणों के साथ ही विद्यार्थियों को भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

'एक पेड़ मां के नाम' के तहत लगाया अमरूद का पौधा : 'मन की बात' कार्यक्रम के पश्चात मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय परिसर में 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के अंतर्गत अमरूद का पौधा लगाया। उन्होंने उपस्थित लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने के साथ उनकी नियमित देखभाल और संरक्षण का भी आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण सरकार के साथ समाज के प्रत्येक व्यक्ति की साझा जिम्मेदारी है। आज लगाया गया प्रत्येक पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और सुरक्षित पर्यावरण की नींव मजबूत करेगा। कार्यक्रम में स्कूली छात्र-छात्राओं और ग्रामीणों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम का श्रवण किया।

नवनियुक्त छग कांग्रेस प्रभारी सुखदेव भगत ने साधा मुख्य चुनाव आयुक्त पर निशाना

कहा...ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग को बना दिया सरकारी विभाग...

रायपुर,27 सितम्बर 2026। कांग्रेस के नवनियुक्त छत्तीसगढ़ प्रभारी सुखदेव भगत ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग को सरकारी विभाग बना दिया है। केंद्र सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। नियुक्ति के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ पहुंचे सुखदेव भगत ने कांग्रेस के प्रदेश के आला नेताओं की मौजूदगी में पत्रकारों से रू-ब-रू हुए... 'जय जोहार! छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया' के नारे के साथ पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार से मेरा एक सवाल है, सबले बढ़िया औसत क्यों दिखता है छत्तीसगढ़ में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी हैं। मगर उनकी आत्मा कॉर्पोरेट घराने की है। उन्होंने कहा कि 2028 में कांग्रेस का सत्ता हासिल करना ही लक्ष्य नहीं है, हम गांधीवादी विचारधारा के साथ शासन में आना चाहते हैं, इसलिए हमने कहा कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं एक पेड़ मां के नाम, बाकी जंगल अदाणी के नाम। खनिज के लिए छत्तीसगढ़ जाना जाता है, तो क्या उसका विस्थापन कर देंगे। क्या स्थानीय लोगों के

विकास के नाम पर विनाश करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी विकास विरोधी नहीं है। भगत ने कहा कि प्रदेश में लॉ पूरी तरह से डिसऑर्डर में है। रेत खनन में कमीशनखोरी चल रही है। जंगल, जमीन हमारी है तो छत्तीसगढ़ के लोगों विस्थापन क्यों मिल रहा है। जंगल के साथ लोगों का सिंबोलिक रिलेशन है। राज्य सरकार लोगों की जड़ों को काट कर रही है। कांग्रेस पार्टी विकास के खिलाफ नहीं है। एसआईआर और चुनाव आयुक्तों में मतभेद को लेकर भाजपा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सुखदेव भगत ने कहा कि चोर-चोर मौसेरे भाई वाली बात हो रही है। चुनाव आयोग से प्रश्न राहुल गांधी करते हैं, और जवाब भारतीय जनता पार्टी से आता है।

गांजा तस्करी का बड़ा भंडाफोड़ : पिकअप वाहन से हो रही थी तस्करी,4.69 करोड़ के माल के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार

मनेन्द्रगढ़,27 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय गांजा तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने दो पिकअप वाहनों से 4 करोड़ से ज्यादा का गांजा बरामद किया है। साथ ही 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

नाकेबंदी में पकड़ाया 4.59 करोड़ का गांजा : दरअसल, चौकी नागपुर और थाना पोड़ी पुलिस ने एनएच-43 पर नाकेबंदी के दौरान दो संदिग्ध पिकअप वाहनों को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान दोनों वाहनों से 9 क्विंटल 19 किलोग्राम गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजे की अनुमानित कीमत 4 करोड़ 59 लाख 50 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने तस्करी में इस्तेमाल दोनों पिकअप वाहनों समेत कुल करीब 4.69 करोड़ रुपये का मशरूका जब्त किया है।

6 आरोपी गिरफ्तार : पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों में अनिल टोप्पो (26), राजित इंद्रवार (20), विनय टेटे (33) और अरुप मिर्धा (22) निवासी सुंदरगढ़, ओड़िशा, जबकि अलबिरनी (25) और सुनीता (22) निवासी कटनी, मध्य प्रदेश शामिल हैं।

ओड़िशा से मध्य प्रदेश की जा रही थी सप्लाई : पूछताछ में सामने आया है कि गांजे की यह बड़ी खेप ओड़िशा से मध्य प्रदेश ले जाई जा रही थी। पुलिस अब मामले की End-to-End विवेचना कर रही है, ताकि गांजे की सप्लाई करने वाले स्रोत से लेकर अंतिम गंतव्य तक जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके।

एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज : यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक सरगुजा रेंज दीपक झा और पुलिस अधीक्षक एमसीबी रत्ना सिंह के निर्देशन में हुई। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।

आगे भी लगातार जारी रहेगा अभियान

इस कार्रवाई में नागपुर चौकी प्रभारी शेषनारायण सिंह (सउनि),एएसआई रामकृपाल सिंह सहित पुलिस टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। जिला पुलिस एमसीबी ने कहा है कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा।

दर्दनाक हादसा : छत्तीसगढ़ में दो कच्चे मकान ढहे,एक महिला की मौत,4 घायल

रायगढ़/गरियाबंद,27 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ में अलग-अलग जिलों में दो हादसे हुए हैं। रायगढ़ में कच्चा मकान गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि गरियाबंद में सोते परिवार पर मकान गिरने से चार लोग घायल हो गए।

तीन लोगों पर गिरा कच्चा मकान

पहली घटना पुसौर ब्लॉक के नंदेली गांव की है,जहां देर रात करीब 3 बजे कच्चा मकान अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे में रोहिणी महंत (40),रतन महंत (42) और उनके 13 वर्षीय बेटे शिवम महंत मलबे में दबकर घायल हो गए।

महिला की मौत, दो का इलाज जारी

जानकारी मिलते ही पुलिस और स्थानीय लोगों ने परिवार को मलबे से बाहर निकाला और पुसौर अस्पताल पहुंचाया। गंभीर रूप से घायल रोहिणी महंत को डॉक्टरों ने मेडिकल कॉलेज रेफर किया,लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। रतन और शिवम का इलाज जारी है।

सो रहे परिवार पर गिरा मकान

दूसरी घटना मैनपुर ब्लॉक के राजापड़ाव क्षेत्र अंतर्गत गौरगांव में हुई है, जहां आधी रात सो रहे परिवार पर मकान भरभराकर गिर गया। हादसे में परिवार के चार लोग घायल हो गए। मकान गिरने के बाद इलाके में चीख-पुकार मच गई।

बाढ़ ने बढ़ाई परेशानी

वहीं बाढ़ के कारण घायलों को अस्पताल पहुंचाना भी चुनौती बन गया,जिसके बाद 112 की टीम की मदद से खाट के सहारे नदी पार कराकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मैनपुर से जिला अस्पताल रेफर किया गया।

एडिटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया में सुधीर आजाद तम्बोली को राष्ट्रीय को-ऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी

देशभर के संपादकों,पत्रकारों और मीडिया कर्मियों को एक मंच पर लाने की तैयारी

रायपुर,27 सितम्बर 2026। एडिटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने राष्ट्रीय संगठनात्मक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपते हुए रायपुर (छत्तीसगढ़) के वरिष्ठ पत्रकार सुधीर आजाद तम्बोली को संगठन का राष्ट्रीय को-ऑर्डिनेटर नियुक्त किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. सैयद खालिद कैस ने यह नियुक्ति आगामी आदेश तक प्रभावी रहने की जानकारी दी है। संगठन की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय को-ऑर्डिनेटर के रूप में सुधीर आजाद तम्बोली देशभर में संगठन की विभिन्न इकाइयों के बीच समन्वय स्थापित करने तथा पत्रकारों, संपादकों और मीडिया कर्मियों को संगठन से जोड़ने की दिशा में काम करेंगे। संगठन की योजना राज्य, संभाग, जिला और तहसील स्तर तक इकाइयों के विस्तार की है। एडिटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया का कहना है कि उसका उद्देश्य प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया से जुड़े संपादकों, पत्रकारों तथा अन्य मीडिया कर्मियों को एक साझा राष्ट्रीय मंच उपलब्ध कराना है। संगठन पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा, प्रेस की स्वतंत्रता, पत्रकारिता की गरिमा तथा मीडिया कर्मियों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए काम करने की बात कहता है।

पत्रकार सुरक्षा से लेकर डिजिटल पत्रकारिता तक फोकस : संगठन के प्रस्तावित कार्यक्षेत्र में पत्रकारों की सुरक्षा और कानूनी सहायता के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को भी शामिल किया गया है। पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा, पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की दिशा में पहल करने की बात संगठन ने कही है। इसके अलावा पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग तथा जरूरतमंद पत्रकारों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने को भी प्रमुख एजेंडे में रखा गया है। एडिटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया की योजना राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने की भी है। इनमें आधुनिक पत्रकारिता तकनीक, डिजिटल कौशल, कानूनी जानकारी, नेतृत्व क्षमता तथा बदलते मीडिया परिदृश्य से जुड़े विषयों को शामिल करने की बात कही गई है।

फेक न्यूज और डिजिटल मीडिया पर प्रशिक्षण

डिजिटल मीडिया के तेजी से बढ़ते प्रभाव के बीच संगठन ने डिजिटल पत्रकारिता को संस्थागत पहचान दिलाने तथा पत्रकारों को नई तकनीक के अनुरूप तैयार करने पर भी जोर दिया है। फेक न्यूज की रोकथाम के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का प्रस्ताव है। संगठन छोटे और क्षेत्रीय समाचार पत्रों के विकास के लिए विशेष अभियान चलाने तथा महिला पत्रकारों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रकोष्ठ गठित करने की दिशा में भी काम करने की बात कहता है। वहीं युवा पत्रकारों के लिए करियर मार्गदर्शन और कौशल विकास कार्यक्रम शुरू करने की योजना भी प्रस्तावित है।

निष्पक्ष और उत्तरदायी पत्रकारिता को बढ़ावा देने का दावा

एडिटर्स काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने विजन में निष्पक्ष, निर्भीक, उत्तरदायी और जनहित आधारित पत्रकारिता को बढ़ावा देने की बात कही है। संगठन के मिशन में पत्रकारों और संपादकों के सम्मान, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, प्रशिक्षण, कानूनी सहायता तथा राष्ट्रीय स्तर पर पहचान के लिए प्रयास करना शामिल है। सुधीर आजाद तम्बोली की नियुक्ति को संगठन के राष्ट्रीय विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है। संगठन का मानना है कि पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके अनुभव और समन्वय क्षमता का उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों में कार्यरत पत्रकारों एवं संपादकों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित करने में किया जा सकेगा। राष्ट्रीय को-ऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी मिलने के बाद अब संगठन के सामने राज्य से लेकर जिला और तहसील स्तर तक इकाइयों के विस्तार तथा मीडिया कर्मियों को एक साझा मंच से जोड़ने की चुनौती होगी। संगठन की आगामी गतिविधियों में इस संगठनात्मक विस्तार को प्रमुखता मिलने की संभावना है।

प्रार्थना सभा का विरोध...हिंदू संगठन और भीम आर्मी भिड़े,धक्का-मुक्की हुई

धर्मांतरण का आरोप,भीम आर्मी बोली-चर्च जाने परमिशन की जरूरत नहीं

धमतरी,27 सितम्बर 2026। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में धर्मांतरण को लेकर हिंदू संगठन और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हुआ है। रविवार को नेशनल हाईवे के पास टिकरापारा स्थित घर में प्रार्थना सभा चल रही थी। हिंदू संगठन ने धर्मांतरण का आरोप लगाते हुए सभा का विरोध किया और नारेबाजी की। कुछ देर बाद भीम आर्मी के लोग भी मौके पर पहुंच गए। उनका कहना था कि कोई भी व्यक्ति मंदिर, मस्जिद या चर्च कहीं भी जा सकता है। इसके लिए धर्म परिवर्तन करने या किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। इसके बाद दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए और धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई। मामला नेशनल हाईवे के पास टिकरापारा स्थित घर का है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम और महापौर मौके पर पहुंचे और दोनों पक्षों को अलग कर शांत कराया गया। दरअसल, धमतरी के टिकरापारा इलाके में नेशनल हाईवे के पास रविवार को एक घर में प्रार्थना सभा हो रही थी। जहां करीब 30 से 40 लोग मौजूद थे। इसकी जानकारी मिलते ही हिंदू संगठन के कार्यकर्ता घर के बाहर पहुंच गए और विरोध करने लगे। कार्यकर्ता काफी देर तक नारेबाजी करते हुए सभा बंद करने की मांग की और वहीं बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे। आसपास के लोगों को पता चला तो धीरे-धीरे भीड़ जुटने लगी। कुछ देर बाद भीम आर्मी के लोग भी मौके पर पहुंच गए। इसके बाद हिंदू संगठन और भीम आर्मी के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए और दोनों ओर से नारेबाजी शुरू हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि उनके बीच धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई।

प्रकाशक,मुद्रक,स्वामी अविनाश कुमार सिंह के द्वारा सांई ऑफसेट प्रिंटर्स,नमनाकला,संत हरकेवल विद्यापीठ के पास,अम्बिकापुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-अविनाश कुमार सिंह* (पी.आर.बी.कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिए जिम्मेदार)
RNI Reg.No.CHHHIN/2004/15050,डॉक रजिस्टर्ड क्र.:-13/सरगुजा/डीएन/2026-2028-मो. 94062-23001,98265-32611,Email:ghatatighatana11@ gmail.com,Website:www.ghatatighatana.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र अम्बिकापुर न्यायालय मान्य होगा)